ग्राम स्वास्थय, स्वच्छता एवं पोषण समिति

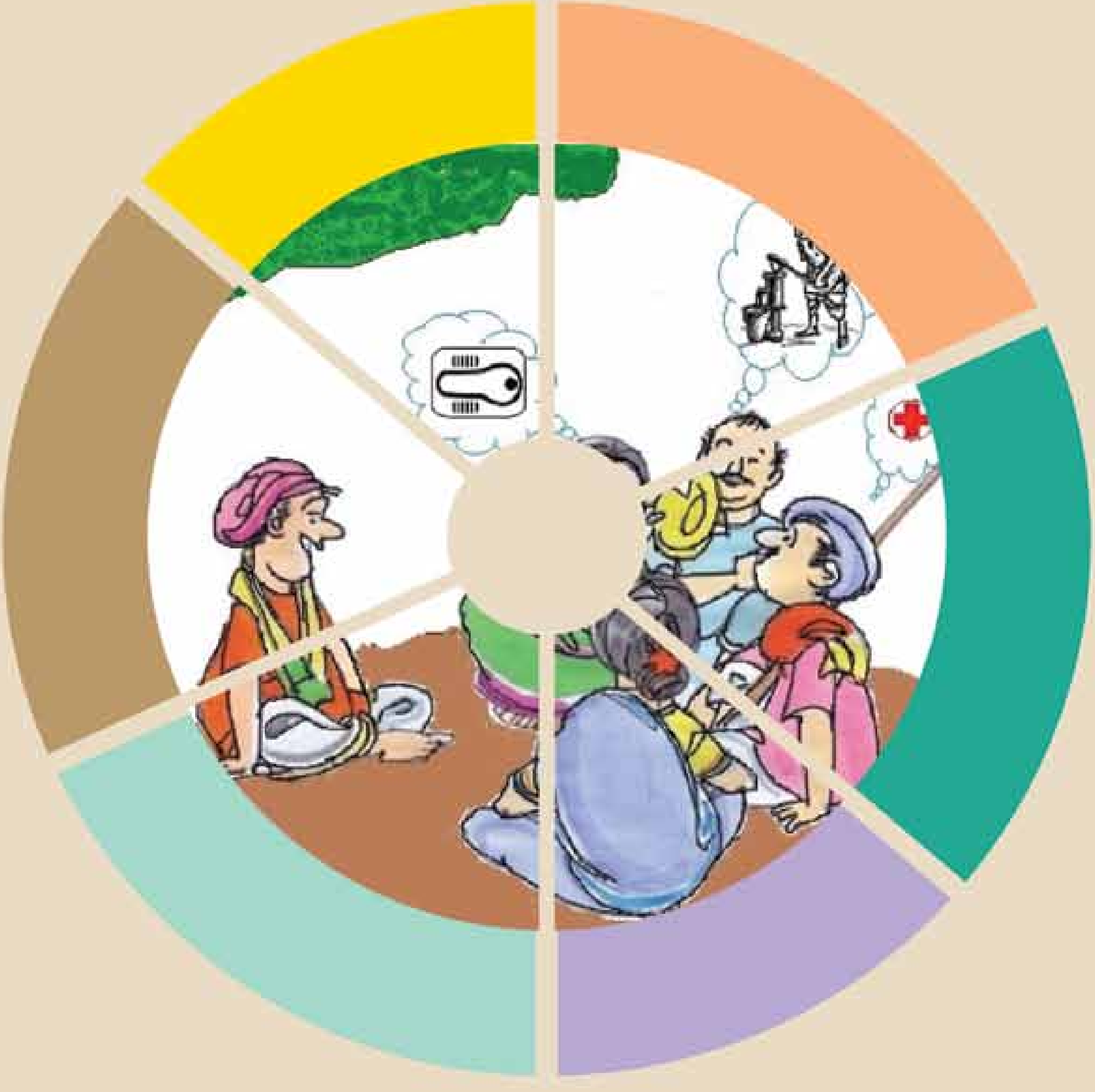

सहजकर्ताओं की बैठक मार्गदर्षिका

European Union

welt hunger hilfe

for a world without hunger

Together, building healthier communities

आभार

इस वी०एच०एस०एन०सी० मार्गदर्षिका को 'एकजुट' ने तैयार किया है। इसकी विषय सामग्री को तैयार करने में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एन.एच.एस.आर.सी., नयी दिल्ली द्वारा प्रकाषित विभिन्न दिशा–निर्देशों एवं झारखंड सरकार के एन.आर.एच.एम. द्वारा संचालित मातृत्व, शिशु व किशोरी स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं तथा कार्यक्रमों को आधार बनाया गया है। साथ ही इसे तैयार करने में झारखंड सरकार की सामुदायिक उत्प्रेरण कोषांग की वी०एच०एस०एन०सी० दिशा–निर्देश की भी मदद ली गई है।

खासकर, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में यह मार्गदर्षिका तैयार की गई है। बैठकों को सहभागी बनाने के लिए विभिन्न सहभागी टूलों एवं खेलों की मदद ली गई है।

Welthungerhilfe तथा Ekjut के साझा प्रयासों से झारखण्ड के चार जिले – खूंटी, दुमका, साहेबगंज एवं पाकुड़ के चार प्रखण्डों क्रमशः तोरपा, जामा, बरहेट एवं लिट्टीपाड़ा में यह परियोजना संचालित की जा रही है। यह मां एवं बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण स्थिति में सुधार हेतु Initiatives for Transparent and Accountable Governance System in Jharkhand परियोजना से परिचालित है। इस परियोजना का उद्देश्य सामुदायिक संस्थान जैसे महिला समूह एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (VHSNC- Village, Health, Sanitation and Nutrition Committee) आदि को मजबूत करना है, ताकि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हो सके।

परियोजना के पायलट क्षेत्र के 40 गांवों में वी०एच०एस०एन०सी० के साथ पी.एल.ए. बैठक आयोजित करने में सहयोगी संस्थाओं – प्रवाह (दुमका), बदलाव फाउंडेशन (साहेबगंज), लीड्स (खूंटी) एवं नीड्स (पाकुड़) की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

उक्त परियोजना के अंतर्गत प्रस्तुत मार्गदर्षिका सहजकर्ताओं के लिए एक साधन है, जिसके माध्यम से सहभागी शिक्षण एवं क्रियान्वयन पद्धति से बैठकों को संचालित किया जाएगा। इस मार्गदर्षिका का उद्देश्य परियोजना के कायक्षेत्र में वी०एच०एस०एन०सी० की बैठकों को करवाने हेतु सहजकर्ता का मार्गदर्शन करना है।

यह आशा कि जाती है कि ये बैठकें, स्वास्थ्य एवं पोषण सेवा प्रदाताओं को सेवाओं के प्रति संवेदनशील बनाने में कारगर होंगी तथा जन सेवाओं और सामाजिक समता को आगे बढ़ाने में भी मददगार साबित होगी।

इन बैठकों के आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाने वालीं सहिया साथी, सहिया, वी०एच०एस०एन०सी० के सदस्य, स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं समुदाय के लोगों के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं।

यह मार्गदर्षिका Initiatives for Transparent and Accountable Governance System in Jharkhand परियोजना के तहत वर्ष 2017 में प्रकाशित की गई है।

प्रस्तावना

किसी भी समुदाय के स्वास्थ्य को निर्धारित करने में स्वास्थ्य एवं पोषण एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक माना जाता है। इससे जुड़े कई कानून एवं कार्यक्रम मौजूद रहने के बावजूद सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग आज भी स्वास्थ्य की बुनियादी सेवाओं के लिए संघर्षरत हैं। हमें यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी सहयोगी संस्था– 'एकजुट', की ओर से गांव की वी०एच०एस०एन०सी० के साथ मिलकर बैठकों का पी.एल.ए. चक्र को एक डिजाइन देने का काम किया गया है।

इस पी.एल.ए. – वी०एच०एस०एन०सी० मार्गदर्षिका (मैन्युअल) का प्रकाशन, – "Initiative for Transparent and Accountable Governance System in Jharkhand" प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है।

दुमका, पाकुड़, साहेबगंज एवं खूंटी के चयनित 40 वी०एच०एस०एन०सी० के 40 गांवों में पी.एल.ए. बैठक का क्रियान्वयन पायलट आधार पर सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इससे इन गांवों में स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित सेवाओं के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं।
यह मार्गदर्षिका ग्राम स्तर पर कार्यरत कम्युनिटी मोबिलाइजर एवं वी०एच०एस०एन०सी० सदस्यों के लिए है। उन्हें समुदाय के बीच स्वास्थ्य योजना निर्माण की गतिविधियों में शामिल होने और सहजता से अपनी भूमिका एवं उत्तरदायित्व को आगे बढ़ाने में यह मार्गदर्षिका मददगार साबित होगी।

हम आशा है कि वी०एच०एस०एन०सी० सहजकर्ताओं के लिए तैयार की गई यह मार्गदर्षिका स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता के मुद्दों को न केवल बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी, बल्कि समुदाय के बीच पी.एल.ए. बैठकों को सहज तरीके से संचालित करने की व्यक्तिगत कौशलता में भी वृद्धि करेगी।
अंत में पुनः हम वी०एच०एस०एन०सी०. सहजकर्ता की इस मार्गदर्षिका के प्रकाशन हेतु 'एकजुट टीम' एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं के प्रति शुभकामना प्रकट करते हैं।

सस्मिता जेना
स्टेट कॉ–आर्डिनेटर
वेलठुन्गरहिल्फे
(Welthungerhilfe)

• • • • •

विषय सूची

क्र0सं0	विषय–वस्तु	बैठक संख्या	पृष्ठ संख्या
1	मार्गदर्शिका का परिचय	.....	1
2	सहजकर्त्ता की जिम्मेवारियां	.....	2
Phase I: Assessing situation (स्थितियों पर समझ बनाना)			
3	परियोजना का परिचय, सामाजिक असमानता पर समझ बनाना	बैठक संख्या–1	3
4	ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति द्वारा ग्रामीण नजरी नक्शा तैयार करना	बैठक संख्या–2	6-8
5	ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के कार्य, उद्देश्य एवं भूमिका	बैठक संख्या–3	9-10
6	ग्राम स्तर पर मिलने वाली ले स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सेवाओं/सुविधाओं की स्थिति (आकलन)	बैठक संख्या–4	11-20
Phase 2: Deciding Solutions (समाधान के लिए निर्णय लेना)			
7	प्रस्तुतीकरण कारण और समाधान	बैठक संख्या–5	21-24
8	ग्राम स्वास्थ्य कार्य–योजना	बैठक संख्या–6	25-27
9	जिम्मेदारियों का बंटवारा	बैठक संख्या–7	28-29
Phase 3: Taking Actions (Implementation) (क्रियान्वयन करना)			
10	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एवं सरकारी योजनाओं पर चर्चा	बैठक संख्या–8	30-33
11	वी०एच०एस०एन०सी० की बैठकों की कार्यवाही को लिखना, वित्तीय ब्यौरा लिखने पर समझ बनाना	बैठक संख्या–9	34-36
12	वी०एच०एस०एन०सी० की मुक्त राशि (अनटाइड फंड)	बैठक संख्या–10	37-39
13	जन्म और मृत्यु का पंजीकरण	बैठक संख्या–11	40-42
Phase 4: Evaluate and advocate (सेवाओं का मूल्यांकन एवं वकालत)			
14	सहभागी मूल्यांकन और भविष्य की योजना	बैठक संख्या–12	43-44
15	अनुलग्नक 1 – ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति का गठन		45-48
16	अनुलग्नक 2 – ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस– वी०एच०एन०डी० की सेवाओं को दर्शाता फ्लैक्स का प्रारूप		49
17	अनुलग्नक 3 – स्वास्थ्य उप–केन्द्र से मिलने वाली सेवाएं		50-52
18	अनुलग्नक 4 – सहिया, ए०एन०एम० और आंगनबाड़ी सेविका के कार्य व जिम्मेदारियां		53-55
19	अनुलग्नक 5 – स्वच्छ भारत अभियान – प्रोत्साहन व पुरस्कार		56-57
20	अनुलग्नक 6 – जल उपयोग संबंधी लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हेतु बातें		58
21	संदर्भ (Reference)		59

मार्गदर्षिका का परिचय

इस मार्गदर्षिका को सहजकर्त्ताओं द्वारा ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के साथ बैठक करने के लिए तैयार किया गया है। इस मार्गदर्षिका में कुल 12 बैठकों का उल्लेख किया गया है जिसके माध्यम से सहभागी शिक्षण और प्रक्रिया को समझने और इसे क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी। इसके माध्यम से सहजकर्त्ता, गांव स्तर पर ग्राम स्व. ास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के साथ स्वास्थ्य से संबंधित अधिकारों, प्रावधानों एवं योजनाओं पर चर्चा करेंगे। सहजकर्त्ता आंगनवाड़ी सेविका, सहिया व ए०एन०एम० के कार्यों को प्रभावी बनाने के बारे में चर्चा करेंगे। इन 12 बैठकों के दौरान समुदाय, सहभागी पद्धति से स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी अधिकारों व कर्त्तव्यों के बारे में चर्चा करेगा।

मार्गदर्शिका के उद्देष्य

- ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठकों के आयोजन के लिए दिशा–निर्देश प्रदान करना।
- समुदाय की स्वास्थ्य समस्याओं (स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी का अभाव, इनका लोगों तक नहीं पहुँचना, सहभागिता की कमी आदि) का आकलन करना।
- प्राथमिक समस्याओं के लिए रणनीतियां बनाना और उन समस्याओं के समाधान में मदद करना।
- रणनीतियों के क्रियान्वयन में ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोशण समिति की मदद करना।

मार्गदर्शिका का उपयोग कैसे करें

- मार्गदर्षिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार बैठक का आयोजन करें।
- प्रत्येक बैठक के आरंभ में बैठक के उद्देष्यों को स्पष्ट करें।
- मार्गदर्षिका में दिए गए विधियों का प्रयोग करें और स्थानीय परिस्थिति के अनुसार इसे अपनाएं।
- दिए गए समय सीमा के अंतर्गत ही बैठक को समाप्त करने की कोशिश करें।
- जितना संभव हो सके सहभागी प्रक्रिया के तहत ही बैठक करें।

वी०एच०एस०एन०सी० सहजकर्त्ता की जिम्मेवारियां

० वी०एच०एस०एन०सी० सहजकर्त्ता की जिम्मेवारियां–

- ☐ चयनित ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति को सक्रिय और सशक्त करना।
- ☐ ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के साथ नियमित बैठक आयोजित करना
- ☐ समस्याओं की पहचान करने में समूह की मदद करना।
- ☐ उन समस्याओं की प्राथमिकता करने में मदद करना
- ☐ इन समस्याओं के लिए संभावित उपायों को खोजने में मदद करना।
- ☐ इन समस्याओं के समाधान के लिए उचित रणनीतियों को खोजने में मदद करना।
- ☐ इन रणनीतियों के क्रियान्वयन में मदद करना।

० ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के प्रमुख कार्य–

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति अपने ग्राम में निम्न कार्यो को संपादित करेगी तथा नियमित रूप से स्थायी समिति को अपने कार्य की जानकारी देगी –

- ग्राम के सभी लोगों को अनिवार्यतः स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रति जागरूक करना, पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से मिलने वाली लाभ को दिलाना सुनिश्चित करना और इन योजनाओं की निगरानी में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना।
- ग्राम में संपूर्ण स्वच्छता अभियान का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। प्रभावी क्रियान्वयन हेतु लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कराना।
- ग्राम में ए०एन०एम० एवं एम०पी०डब्ल्यू० का निर्धारित दिवसों में भ्रमण सुनिश्चित कराते हुए उनके द्वारा लोगो को दी जाने वाली सेवाओं को ग्रामवासियों को उपलब्ध कराना।
- ग्राम में सभी जन्म, मृत्यू और विवाह का 100 प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करना।
- ग्राम में होने वाले मृत जन्म और शिशु मृत्यु की तुरंत सूचना चिकित्सा अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को देना।
- ग्राम में अनाज बैंक होने पर उसे मजबूत करने अथवा नये अनाज बैंक की स्थापना के लिये लोगों को प्रेरित करना।
- ग्राम के सभी लोगों को सूचना बोर्ड या कैलेण्डर के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रत्येक ग्राम भ्रमण पर उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी स्वास्थ्य कैलेण्डर के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना। यदि ग्राम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना अंतर्गत कार्य चल रहे हों तो कार्यस्थल पर महिला/बच्चों/अन्य के स्वास्थ्य के लिये आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का प्रयास करना।

बैठक संख्या 1: परियोजना का परिचय, सामाजिक असमानता के मुद्दों पर समझ बनाना

बैठक का उद्देश्यः

1. परियोजना के बारे में परिचित कराना
2. समुदाय में आप कैसे कार्य करेंगे, इसे विस्तार से बताना
3. सामाजिक असमानता के विशय पर समझ बनाना

बैठक का समय :—1.5 से 2 घंटे

बैठक में उपयोग करने वाली सामग्री :—लिखने के लिये कॉपी तथा पेन

चर्चा के विषय

1. परियोजना का परिचय
2. पावर वॉक गेम (कदम का खेल) द्वारा समाज में असमानता का मुद्दा (सीमान्त वर्गों) पर ध्यानाकर्षण

(बैठक करने से पूर्व सभी प्रतिभागियों को एक गोलाई में इस प्रकार बैठायें कि सभी प्रतिभागियों की नजर सहजकर्त्ता पर रहे।)

परियोजना का परिचय

- ☐ परियोजना का परिचय देने के लिए सबसे पहले सहजकर्त्ता परियोजना का उद्देश्य बतायें।
- ☐ परियोजना का उद्देश्य :— माँ और बच्चों में कुपोषण की स्थिति में सुधार लाना।
- ☐ यहां प्रतिभागियों को यह बताना अनिवार्य है कि कुपोषण क्या होता है?

अब सहजकर्ता प्रतिभागियों को इस बैठक में सक्रियता से भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करेंगे।

कदम का खेल को संचालित करने की प्रक्रिया

- ☐ यह खेल खेलने के लिए वी०एच०एस०एन०सी० के किसी भी सात सदस्यों को चुन लें।
- ☐ अगर बैठक में महिला सदस्य उपस्थित हैं तो उन्हें खेल के लिए प्राथमिकता दें।
- ☐ बैठक शुरू होने से पहले पात्र को ही उन्हें पूरा खेल समझा दें।
- ☐ प्रतिभागियों को उनकी भूमिका की पर्ची दे दें।
- ☐ इन सातों प्रतिभागियों को यह बता दें कि खेल खत्म होने से पहले वे अपनी भूमिकाओं के बारे में किसी
- ☐ अन्य से चर्चा न करें।
- ☐ खेल शुरू करते समय उन सातों प्रतिभागियों को बीच में बुलायें व उन्हें एक पंक्ति में खड़ा होने को कहें।
- ☐ सहजकर्त्ता उँची व सरल आवाज में सवालों को एक–एक करके पूछें।
- ☐ सभी प्रतिभागियों को कहें कि वे पूछे जा रहे सवालों को ध्यान से सुनें एवं उसके अनुसार आगे बढ़ें।

खेल के चरित्र/रोल की पर्ची

चरित्र 1 : दूर दराज क्षेत्र में रहने वाली महिला जिसके बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम है।

चरित्र 2 : आंगनवाड़ी केन्द्र के पड़ोस में रहने वाली गर्भवती महिला।

चरित्र 3 : मुखिया/वार्ड सदस्य की बहू।

चरित्र 4 : तीन बच्चों की मां जो टीकाकरण के बारे में नही जानती है।

चरित्र 5 : दैनिक मजदूर मां जिसके दो बच्चे है।

चरित्र 6 : चार से अधिक बच्चों की अशिक्षित माँ।

चरित्र 7 : ऐसी माँ जिसका बच्चा कुपोषित है।

o खेल का तरीका

सभी चरित्र एक रेखा में खड़े हो जाएंगे। सहजकर्त्ता कुछ सवालों को एक–एक कर ऊंची आवाज में पूछेंगे और सभी चरित्र अपने कदम आगे बढ़ायेंगे। किस सवाल पर किस चरित्र को अपना कदम आगे बढ़ाना है यह पहले से उन्हें बता दिया जाना चाहिये।

o सहजकर्ता कुछ सवाल पूछेगी ताकि सभी महिलायें स्पष्ट सुन सकें।

पूछे जाने वाले प्रश्न	प्रतिक्रियाएं
आप में से कितने लोगों ने गर्भधारण का पंजीकरण कराया है? कृपया एक कदम आगे आयें।	दूर दराज क्षेत्र में रहने वाली महिला जिसके बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम है। (चरित्र 1) वही रूक जाएगी , अन्य महिलायें आगे बढ़ जायेंगी।
आप में से कितने लोग आंगनवाड़ी से राशन प्राप्त कर रहे हैं? कृपया एक कदम आगे आयें।	दैनिक मजदूर माँ जिसके दो बच्चे है, और कभी स्कूल नहीं गयी मां। (चरित्र 2, 5) वही रूक जाएगी अन्य महिलायें आगे बढ़ जायेंगी।
आप में से कितने लोगों के बच्चों का पूरा टीकाकरण हुआ है? कृपया एक कदम आगे आयें?	ऐसी माँ जिसका बच्चा कुपोषित है। (चरित्र 7) वही रूक जाएगी अन्य महिलायें आगे बढ़ जायेंगी।
आप में से कितने लोगों की प्रसव पूर्व 4 जांच हुई हैं और परिवार नियोजन, स्तनपान तथा पोषण के बारे में प्रसव पूर्व जांच के दौरान परामर्श दिया गया है? कृपया एक कदम आगे?	कभी स्कूल नहीं गयी मां जिसके 4 से अधिक बच्चे है (चरित्र 6) वहीं पर रूक जायेगी अन्य महिलायें आगे बढ़ जायेंगी।
आप में से कितने लोगों के बच्चों को कृमि की दवा प्राप्त हुई है? कृपया एक कदम आगे आयें ?	आंगनवाड़ी केन्द्र के पड़ोस में रहने वाली गर्भवती महिला , और सरपंच की बहू वहीं पर रूक जायेगी (चरित्र 2 और 3)

समुदाय से और विभिन्न चरित्रों के रूप

- ☐ वे कौन थे जो आगे तक आये और वे आगे क्यों आये?
- ☐ वे लोग कौन थे जो पीछे छूट गये और क्यों?
- ☐ हम मुख्यधारा से छूटे हुये लोगों को समुदाय में आगे रहने वालों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? यह क्यों जरूरी है?
- ☐ हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि समुदाय का हर व्यक्ति आगे आये? यह खेल यह समझने के लिये खेला जाता है कि बहुत कोशिशों के बावजूद भी कुछ लोग किसी भी कार्यक्रम का लाभ नहीं ले पाते हैं? खेल के माध्यम से प्रतिभागी समुदाय के बीच की असमानता को समझ पाते हैं। यह खेल समुदाय के सदस्यों और सेवा दाताओं को योजनाओं व कायक्रमों में सभी लोगों को शामिल करने की सीख देता है।

बैठक का सारांस

सहजकर्ता प्रतिभागियों के सहयोग से इस बैठक का सारांस करेंगे और उन्हें बताएंगे कि हमने किन बातों पर चर्चा की, जैसे–

– इस बैठक के द्वारा प्रतिभागियों को परियोजना के कार्यो के बारे में जानकारी हुई।

– गाँव में मौजूद विभिन्न प्रकार के असमानताओं का कारण निम्न हो सकते हैं जैसे अशिक्षा, गरीबी, दुर्गम क्षेत्र, आवागमन कि सुविधा कमी, विकलांगता इत्यादि।

– कदम का खेल द्वारा समाज में असमानता के बारे में जानकारी हुई।

– सहजकर्ता प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए बताएंगे कि अगली बैठक में "समुदाय आधारित ग्रामीण नजरी नक्शा के विषय पर चर्चा होगी।

बैठक संख्या 2: वी०एच०एस०एन०सी० द्वारा ग्रामीण नजरी नक्शा तैयार करना

बैठक का उद्देश्य:
1. गाँव में उपलब्ध संसाधनों कि पहचान करना
2. वी०एच०एस०एन०सी० के सदस्यों द्वारा ग्रामीण नजरी नक्शा तैयार करना

बैठक का समय :–1.5 से 2 घंटे

बैठक में उपयोग करने वाली सामग्री :–चार्ट पेपर, मार्कर, अलग–अलग रंगों के पेन

चर्चा के विषय
1. पिछली बैठक की समीक्षा
2. ग्राम भ्रमण द्वारा गाँव में उपलब्ध संसाधनों कि पहचान करना
3. वी०एच०एस०एन०सी० के सदस्यों द्वारा ग्रामीण नजरी नक्शा बनाना

(बैठक करने से पूर्व सभी प्रतिभागियों को एक गोलाई में इस प्रकार बैठायें की सभी प्रतिभागियों कि नजर सहजकर्त्ता पर रहे।

पिछली बैठक की समीक्षा

- ☐ सहजकर्ता सभी प्रतिभागियों से कहेंगे कि वे प्रतिभागी अपना हाथ उठायें जो पिछली बैठक में शामिल हुए थे और हाथ उठाने वाले प्रतिभागियों का नाम लिख लेंगे।
- ☐ प्रतिभागियों से पूछें कि जिन्होंने पिछली बैठकों में भाग लिया था उन्होंने उन बैठकों में क्या सीखा?
- ☐ सहजकर्ता प्रतिभागियों को पिछली बैठकों की चर्चाओं को याद करने में सहयोग करेंगे।

अब सहजकर्ता प्रतिभागियों को इस बैठक में सक्रियता से भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करेंगे। इस बैठक में गाँव के सभी टोले से वी०एच०एस०एन०सी० के सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित कर लें।

गाँव में उपलब्ध कृषि भूमि, जल संसाधनों, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं सहित अन्य सभी सुविधाओं तथा संसाधनों की पहचान करना

- ☐ ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के सभी सदस्य गाँव में घुमेंगे और पेयजल स्रोत (कुआँ, चापाकल, तालाब, नदी, चुआँ आदि), खेत, जंगल, सड़क, आंगनवाड़ी, उप–स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, सीमावर्ती/कटे/दुर्गम क्षेत्र, वैसे समूह जिन तक सामुदायिक सरकारी सेवाओं की पहुँच नहीं हो पाती है तथा ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध अन्य सभी सुविधाओं की पहचान करेंगे।

- ☐ ग्राम भ्रमण के दौरान चर्चा के संभावित विषय:
  - ग्रामीण स्तर पर कृषि उत्पादों पर चर्चा – ठोस खाद्य पदार्थ, दलहन, तिलहन इत्यादि।
    (भ्रमण के दौरान कृषि योग्य भूमी की पहचान करेंगे।)
  - ग्रामीण स्तर पर उत्पादित सब्जियों तथा खेती नहीं होने वाली जमीन पर चर्चा।
  - खेती में प्रयोग होने वाली संसाधन तथा उपकरणों पर चर्चा।
    (बीज, हल, ट्रैक्टर, कीटनाशक, उर्वरक/खाद इत्यादि)
  - ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध पेय जल स्रोतों एवं खेती के लिए जल स्रोतों पर चर्चा।

- ☐ ग्राम स्वास्थ्य समिति के सभी सदस्य कृषि तथा पोषण के विषयों पर खुली चर्चा करेंगे। इस चर्चा के द्वारा समुदाय के सदस्य स्वास्थ्य तथा पोषण के मुद्दे पर अपने विचारों की खुली अभिव्यक्ति कर पाएंगे। (इस चर्चा के दौरान सहजकर्ता समिति के सभी सदस्यों के विचारों को लिखते जाएंगे)
- ☐ समिति के सभी सदस्य अनउपयोगी/खाली/सरकारी जमीनों की तरफ ध्यान आकृष्ट करेंगे।
- ☐ सभी सदस्य जंगल से मिलने वाले संसाधनों पर ध्यान आकृष्ट करेंगे।
- ☐ समिति के सभी सदस्य निकटतम उपलब्ध आंगनवाड़ी केन्द्र तथा स्वास्थ्य सेवाओं की दूरी पर चर्चा करेंगे।
- ☐ समिति के सभी सदस्य निकटतम उपलब्ध प्राथमिक, माध्यमिक तथा हाई स्कूल की दूरी पर चर्चा करेंगे।

ध्यान देने योग्य बातें

क्या करें	क्या ना करें
☐ जागरूकता बनाए रखें, धीमें चलें, ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें ☐ अधिक से अधिक ग्रामीणों को सम्मिलित करने की कोशिश करें (विशेष कर बुजुर्गों को) ☐ जागरूकता बनाए रखने हेतु ग्रामीणों को प्रोत्साहित करें	☐ व्यर्थ सवालों ना पुछें ☐ गाँव के अधुरे कार्यों को अनदेखा ना करें (कुँआ, चापाकल, तालाब, स्कूल के लिए भवन, सड़क, आंगनवाड़ी केन्द्र, पंचायत भवन आदि) ☐ किसी भी मुद्दे पर अपने विचार/निर्णय न थोपें

ग्राम भ्रमण पर आधरित चर्चा

इस ग्राम भ्रमण के पश्चात वी०एच०एस०एन०सी० के सदस्यों को अपने ग्राम स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के बारे में और ज्यादा जानकारी हो पाएगी (जंगल, खेती योग्य भूमि, खाद्य विविधता, खेती से होने वाले उपज में होने वाली दिक्कतें और संभावित समाधान, वैसी भूमि जिसका उचित उपयोग किया जा सके आदि)

उदाहरण के लिए वैसी खाली भूमि जिसका उपयोग किया जा सके/वैसे खेत जिनके मेड़ पर कोई घेरा ना हो (कटीले तार, वृक्ष, कांटेदार पौधे) समिति के सदस्य इन क्षेत्रों की पहचान करेंगे। इन समस्याओं का संभावित कारण खोजेंगे (संभवतः सिंचाई योग्य पानी का ना होना, बीज का ना होना, खेती के लिए पर्याप्त समय नहीं होना, खेत में किसी प्रकार का घेरा ना होना।

ग्रामीण नक्शा बनाने कि प्रक्रिया

1. वी०एच०एस०एन०सी० के सदस्य मिलकर एक चार्ट पेपर पर गाँव के क्षेत्र को दर्षाता हुआ एक आकार बनाएंगे।

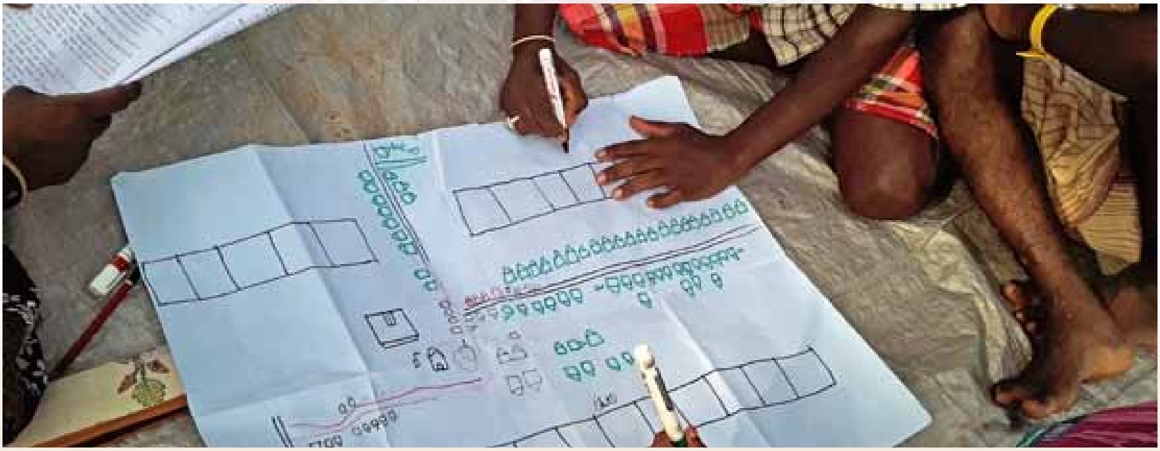

2. अब सभी सदस्य मिलकर उस आकार में ग्राम भ्रमण के आधार पर गाँव की चौहद्दी एवं दिशाओं को दर्शाएंगे।
3. वी०एच०एस०एन०सी० के सभी सदस्य मिलकर गाँव को दर्षाते हुए उस नक्शा में गाँव के टोलों को अंकित करेंगे।
4. अब सभी सदस्य मिलकर उस नक्षे में गाँव के धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, सरना स्थल आदि को दर्शायेंगे।
5. अब उस नक्शा में ग्राम भ्रमण के आधार पर सभी सदस्य मिलकर गाँव में उपलब्ध संसाधनों (पेय जल स्रोत (कुआँ, चापाकल, तालाब, नदी, चुआँ आदि), खेत, जंगल, सड़क, आंगनवाड़ी, उप–स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, सीमावर्ती/कटे/दुर्गम क्षेत्र) को दर्शाएंगे।
6. अब इस नक्षा में गाँव के मुख्य लोगों (सेविका, सहिया, मुखिया, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य आदि गणमान्य व्यक्तियों) के घरों को अंकित करेंगे।
7. अब इस नक्शा में आंगनवाड़ी केन्द्र तथा स्वास्थ्य सेवाओं के लाभार्थियों (0 से 6 वर्ष के बच्चे, धात्री महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, किशोरी) को अलग–अलग रंगों से अंकित करेंगे।
8. वैसे समूह/परिवार/व्यक्ति जो आंगनवाड़ी केन्द्र तथा स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं, उन्हें अलग रंग से अंकित करेंगे।

ग्रामीण नजरी नक्शा का नमूना

बैठक का सारांस

- ☐ परिवार के दैनिक भोजन में खाद्य विविधता ना होना (जैसे – हरी साग–सब्जी, फल, दाल, तेल, दूध, मीट आदि)
- ☐ अधिकतर खाद्य पदार्थों की उपलब्धता ग्रामीण स्तर पर साल भर रहती है।
- ☐ ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग सफल रणनीतियों के द्वारा की जा सकती है।
- ☐ जल संचय करके खेती में उसक उपयोग किया जा सकता है।
- ☐ ग्राम स्तर पर जल निकासी की व्यवस्था की जा सकती है।
- ☐ सहजकर्ता प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए बताएंगे कि अगली बैठक में वी०एच०एस०एन०सी० एवं पोषण समिति के कार्य, उद्देश्य एवं भूमिका के पर चर्चा होगी।

बैठक संख्या 3: वी०एच०एस०एन०सी० के कार्य, उद्देश्य एवं भूमिका

बैठक का उद्देश्य:
1. समुदाय में आप कैसे कार्य करेंगे, इसे विस्तार से बताना।
बैठक का समय :–1.5 से 2 घंटे
बैठक में उपयोग करने वाली सामग्री :–लिखने के लिये कॉपी तथा पेन

चर्चा के विषय
1. ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोशण समिति के कार्य, उद्देश्य और उसकी भूमिका के बारे में बताना

(बैठक करने से पूर्व सभी प्रतिभागियों को एक गोलाई में इस प्रकार बैठायें कि सभी प्रतिभागियों की नजर सहजकर्त्ता पर रहे।)

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (वी०एच०एस०एन०सी०) का उद्देश्य

- ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति एक ऐसी समिति है जो अपने गांव के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कार्य करेगी तथा समुदाय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के बीच कड़ी का काम करेगी।

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता एवं पोषण समिति के प्रमुख कार्य–

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति अपने ग्राम में निम्न कार्यो को संपादित करेगी तथा नियमित रूप से स्थायी समिति को अपने कार्य की जानकारी देगी –

- ग्राम के सभी लोगों को अनिवार्यतः स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रति जागरूक करना, योग्य लाभुक वर्ग को विभिन्न योजनाओं में मिलने वाले लाभ को दिलाना और इन योजनाओं की निगरानी में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना।
- ग्राम में स्वच्छ भारत अभियान का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। प्रभावी क्रियान्वयन हेतु लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कराना।
- ग्राम में ए.एन.एम. एवं एम.पी.डब्ल्यू का निर्धारित दिवसों में भ्रमण सुनिश्चित कराते हुए उनके द्वारा लोगो को दी जाने वाली सेवाएं ग्रामवासियों को उपलब्ध कराना।
- ग्राम में सभी जन्म, मृत्यु और विवाह का 100 प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करना।
- ग्राम में होने वाले मृत जन्म और शिशु मृत्यु की तुरंत सूचना चिकित्सा अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को देना।
- ग्राम में अनाज बैंक होने पर उसे मजबूत करने अथवा नये अनाज बैंक की स्थापना के लिये लोगों को प्रेरित करना।
- ग्राम के सभी लोगों को सूचना बोर्ड या कैलेण्डर के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रत्येक ग्राम भ्रमण पर उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी स्वास्थ्य कैलेण्डर के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना।
- यदि ग्राम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रमीण रोजगार गांरटी योजनांतर्गत कार्य चल रहे हों तो कार्यस्थल पर महिलाओं/बच्चों/अन्य के स्वास्थ्य के लिये आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का प्रयास करना।

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता एवं पोषण समिति के प्रमुख कार्य–

- ☐ मासिक बैठक में स्वयं भाग लें।
- ☐ अपने अधिकारों व जिम्मेदारियों का उपयोग कर समुदाय की मदद करना।
- ☐ अपनी जानकारी और अनुभव दूसरों के साथ बांटना।
- ☐ गांव के विकास के लिए निर्णय लेना।
- ☐ कुपोषण की स्थिति में सुधार के लिए समुदाय के साथ मिलकर योजना बनाना व उसे लागू करने में मुख्य भूमिका निभाना।
- ☐ गांव के समुदाय द्वारा गांव की स्थिति के आंकलन व उनके द्वारा पहचानी गई प्राथमिकताओं को आधार बनाकर ग्राम स्वास्थ्य योजना पर चर्चा करना व इसे तैयार करना।
- ☐ ग्राम स्तर की स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण गतिविधियों के प्रमुख विषयों पर समस्याओं का विश्लेशन करना व इनके बारे में विभागीय अधिकारियों को जानकारी देना। गांव की स्वास्थ्य रिपोर्ट को ग्राम सभा में प्रस्तुत करना।
- ☐ यह सुनिश्चित करना कि ए.एन.एम. एवं बहुद्देशीय कार्यकर्त्ता (एम.पी.डब्ल्यू.) तय दिनों पर गांव का दौरा करें व अपनी जिम्मेवारियां निभाएें। ग्राम स्वास्थ्य व पोषण कर्मियों जैसे ए.एन.एम., एम.पी.डब्ल्यू. व आंगनवाड़ी सेविका को सहयोग एवं क्रियान्वयन करना।

बैठक का सारांस

- ☐ सहजकर्ता प्रतिभागियों के सहयोग से इस बैठक का सारांश करेंगे और उन्हें बताएंगे कि हमने किन बातों पर चर्चा की, जैसे–
  - ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के उद्देश्य
  - ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के प्रमुख कार्य
  - ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की भुमिका
- ☐ सहजकर्ता प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए बताएंगे कि अगली बैठक में ग्राम स्तर पर मिलने वाली स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सेवाओं/सुविधाएं की स्थिति (आकलन) पर चर्चा करेंगे।

बैठक संख्या 4: ग्राम स्तर पर मिलने वाली स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सेवाओं/सुविधाओं कि स्थिति (आंकलन)

बैठक का उद्देश्यः

1. ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी देना।

बैठक का समय :–1.5 से 2 घंटे

बैठक में उपयोग करने वाली सामग्री :– चार्ट पेपर, मार्कर या फ्लैक्स

चर्चा के विषय

1. पिछली बैठक की समीक्षा
2. समुदाय आधारित स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आंकलन प्रपत्र भरना

(बैठक करने से पूर्व सभी प्रतिभागियों को एक गोलाई में इस प्रकार बैठायें कि सभी प्रतिभागियों की नजर सहजकर्त्ता पर रहे।)

पिछली बैठक की समीक्षा

- ☐ सहजकर्ता सभी प्रतिभागियों से कहेंगे कि वे प्रतिभागी अपना हाथ उठायें जो पिछली बैठक में शामिल हुए थे और हाथ उठाने वाले प्रतिभागियों का नाम लिख लेंगे।
- ☐ प्रतिभागियों से पूछें कि जिन्होंने पिछली बैठकों में भाग लिया था उन्होंने उन बैठकों में क्या सीखा?
- ☐ सहजकर्ता प्रतिभागियों को पिछली बैठकों की चर्चाओं को याद करने में सहयोग करेंगे।

अब सहजकर्ता प्रतिभागियों को इस बैठक में सक्रियता से भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करेंगे।

इस बैठक को कराने से पहले चार्ट पेपर/फ्लैक्स पर ग्राम स्तर पर मिलने वाली सुविधाओं को लिखें। बैठक के दौरान चार्ट पेपर/फ्लैक्स को इस प्रकार से टांगे कि उपस्थित सभी प्रतिभागियों को उसकी लिखावट दिखे। बैठक के दौरान चार्ट पेपर पर लिखी सभी सेवाएं व सुविधाओं को एक–एक कर बतलाएं।

बैठक के समाप्त होने पर इस चार्ट पेपर/फ्लैक्स को आंगनवाड़ी केन्द्र में इस प्रकार लगा दें कि वह सुरक्षित रह सके तथा सभी को दिख सकेए साथ ही चार्ट पेपर/फ्लैक्स पर कुछ महत्पूर्ण नम्बर अवश्य लिखें।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्य ग्रामवासियों को खासतौर पर महिलाओं एवं बच्चों को निर्धारित दिवस पर नजदीकी आंगनवाड़ी केन्द्र में इकठ्ठा करेंगी। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी इस दिन अवष्य उपस्थित होने चाहिए अन्यथा ग्रामवासी भी उत्सुकता नहीं दिखाएंगे। इस पर ग्रामवासी स्वतन्त्र रूप से स्वास्थ्य कर्मी के साथ बुनियादी सुविधाओं के बारे में बातचीत व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामवासी पोषण दिवस पर स्वास्थ्य के सम्बन्ध में विशेषकर बीमारियों की रोकथाम के बारे में सीख सकते हैं जो कि उन्हें जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति में मुख्यतः आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं एवं पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है। यदि उक्त घटनाक्रम में सभी कार्यकर्त्ता पूर्ण रूप से सम्मिलित हों तो स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होने की काफी संभावनाएं हैं।

ग्राम स्तर पर उपलब्ध एवं प्रदत्त सेवाएं –

क्रम संख्या	लाभार्थी	दी जाने वाली सेवाएं	सेवा देने वाली
1	गर्भवती महिलाएं	० मुख्यमंत्री जननी शिशु स्वास्थ्य अभियान के तहत सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, प्रसव पूर्व परीक्षण टीकाकरण (2 टेटनस की सूईया)। ० आयरन एवं मेवेन्डाजोल गोली का वितरण। ० छूटी हुई गर्भवती महिलाओं को खोज कर केन्द्र तक लाना एवं उनका प्रसव–पूर्व निरीक्षण करना। ० गर्भ के दौरान उत्पन्न खतरे के संकेत वाली गर्भवती महिलाओं को उच्च स्तरीय संस्थान में प्रेशित करना। ० गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषक प्रदान करना। ० गर्भवती महिलाओं को प्रसव किट देना।	० सहिया ० ए.एन.एम. ० आंगनबाड़ी सेविका
2	धात्री माता	० आयरन एवं मेवेन्डाजोल गोली का वितरण ० धात्री महिलाओं को पूरक पोशक प्रदान करना	० सहिया ० ए.एन.एम. ० आंगनबाड़ी सेविका
3	जन्म से एक वर्ष के बच्चे	० टीकाकरण में एक वर्ष से कम आयु के बच्चों का नाम सूचीबद्ध कराना। ० योग्य बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र तक लाना। ० सही समय पर उन्हें टीका (बी.सी.जी., पोलियो, डी.पी.टी., पेंटावेलेन्ट एवं खसरा) लगाना। ० खसरा के साथ विटामिन ए की पहली खुराक देना। ० छूटे हुए बच्चों को खोजकर केन्द्र तक लाना एवं उनका टीकाकरण कराना। ० 6 माह के ऊपर के बच्चों को उपरी आहार देना। ० डायरिया से बचाव के लिए जीवन रक्षक घोल का वितरण करना। ० श्वसन संबंधी बीमारी से बचाव के लिए एंटीबायोटिक का वितरण करना। ० गंभीर रुप से बीमार बच्चों को बेहतर ईलाज के लिए उच्च संस्थान में भेजना।	० सहिया ० ए.एन.एम. ० आंगनबाड़ी सेविका
4	एक वर्ष से पांच वर्ष के बच्चे	० बच्चों का वजन लेना तथा वृद्धि – कार्ड का संधारण करना। ० छूटे हुए बच्चों को खोजकर केन्द्र तक लाना एवं उनका टीकाकरण (विटामीन ए, डी.पी.टी., पेंटावेलेंट, बूस्टर टी.टी.) करना ० आयरन की छोटी गोली एवं मेवेन्डाजोल गोली का वितरण करना ० डायरिया के बचाव के लिए जीवन रक्षक घोल का वितरण करना। ० कुपोषित बच्चों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना ० गंभीर रुप से बीमार बच्चों को बेहतर ईलाज के लिए उच्च संस्थान में भेजना।	० सहिया ० ए.एन.एम. ० आंगनबाड़ी सेविका
5	कशोरी	० खून की कमी से बचाव के लिए आयरन की गोली का वितरण करना ० टी.टी. की सूईया देना।	० सहिया ० ए.एन.एम. ० आंगनबाड़ी सेविका
6	योग्य दंपति	० योग्य दंपतियों को याग्य योग्य दंपति पुस्तिका में सूचीबद्ध करना। ० उनकी इच्छानुसार गर्भ निरोधक का वितरण करना। ० परिवार नियोजन के लिए सही सलाह एवं सही समय पर बन्ध्याकरण कराने के लिए प्रेरित करना।	० सहिया ० ए.एन.एम. ० आंगनबाड़ी सेविका

सेवाओं पर परामर्श – नीचे विभिन्न लाभार्थियों को विभिन्न सेवाओं पर दी जाने वाले परामर्श से संबंधित जानकारी दी जा रही है।

क्रम संख्या	लाभार्थी	दी जाने वाली सेवाएं	सेवा देने वाली
1	समुदाय	o व्यक्तिगत स्वच्छता। o घरेलू साफ–सफाई। o स्वच्छ पेय जल का महत्व। o मलेरिया टी.बी. तथा अन्य संक्रामक रोगों के रोकथाम के उपाय। o बच्चों की शिक्षा का महत्व। o लिंग समानता का महत्व। o विवाह के उम्र की सही जानकारी। o यौन जनित रोग तथा एच.आई.वी. एड्स के बचाव की जानकारी। o गाँव में उत्पन्न महामारी की जानकारी।	o सहिया o ए.एन.एम. o आंगनबाड़ी सेविका o शिक्षक
2	गर्भवती महिलाएँ	o मुख्यमंत्री जननी सुरक्षा योजना के तहत सभी गर्भववती माताओं का पंजीकरण का महत्व। o गर्भवती महिलाओं का प्रसवपूर्व परीक्षण का महत्व। o टीकाकरण (2 टेटनस की सूईयों का महत्व) o खून की कमी के लक्षण एवं बचाव के लिए आयरन की गोली का महत्व। o गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार की जानकारी देना। o गर्भ के दौरान उत्पन्न खतरे के संकेत के लक्षण की जानकारी देना। o सुरक्षित एवं संस्थागत प्रसव का महत्व। o गर्भवती महिलाओं के लिए पूरक पोषाहार का महत्व। o दो बच्चों के बीच के अन्तर के महत्व एवं उपाय की जानकारी देना।	o सहिया o ए.एन.एम. o आंगनबाड़ी सेविका
3	धात्री महिलाएँ	o प्रसव के बाद साफ–सफाई एवं देखभाल। o स्तनपान का महत्व। o धात्री माताओं को पौष्टिक आहार की जानकारी देना। o नवजात शिशु की देखभाल। o शिशु का नियमित टीकाकरण। o डायरिया से बचाव के लिए जीवन रक्षक घोल का महत्व। o ष्वसन संबंधी संक्रमण से बचाव हेतु एन्टीबॉयोटिक का प्रयोग। o गंभीर रुप से बीमार बच्चों को बेहतर इलाज के लिए अतिषीघ्र उच्च स्तरीय संस्थान में ले जाने का महत्व।	o सहिया o ए.एन.एम. o आंगनबाड़ी सेविका
4	किशोरी	o व्यक्तिगत स्वच्छता। o विवाह की उम्र की सही जानकारी देना। o यौन जनित रोग तथा एच.आई.वी. एड्स से बचाव की जानकारी। o खून की कमी से बचाव के लिए आयरन की गोली का महत्व। o पौष्टिक आहार की जानकारी देना।	o सहिया o ए.एन.एम. o आंगनबाड़ी सेविका
5	योग्य दंपति	o यौन शिक्षा का महत्व। o परिवार नियोजन के स्थायी एवं अस्थायी उपायों की जानकारी देना। o दो बच्चों के बीच के अंतर के महत्व एवं उपायों की जानकारी देना। o बच्चों के स्वास्थ्य हेतु जागरुकता की आवश्यकता पर बल देना।	o ए.एन.एम.

वी०एच०एस०एन०सी० की बैठक में चर्चा के कुछ संभावित विषय :–

स्वच्छता :–

- ☐ शौचालयों के निर्माण के लिए घरों की पहचान पर चर्चा की जा सकती है।
- ☐ जहां पर मच्छर ज्यादा उत्पन्न होते हैं वहां सफाई की उचित व्यवस्था पर चर्चा की जा सकती है।
- ☐ घरों से निकले कचरा को उचित स्थान पर निष्पादन पर सलाह।

संक्रमित रोग :–

- ☐ उन सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा देना जिससे आम जनता में जागरूकता आये।
- ☐ संदिग्ध संक्रमण फैलाने वाले रोगों की पहचान एवं रेफरल पर चर्चा की जा सकती है।
- ☐ मच्छरों के उत्पन्न होने वाले स्थानों कि पहचान पर चर्चा की जा सकती है।
- ☐ महामारी की पहचान पर चर्चा की जा सकती है।

लिंग जांच व लैंगिक समानता :–

- ☐ प्रसव–पूर्व लिंग जाँच पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना एवं इस बात को सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति प्रसव से पूर्व लिंग की पहचान (कन्या या बालक) को न जान सके। इसके साथ. साथ समुदाय के बीच कन्या जन्म की संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं।
- ☐ सहजकर्ता वी०एच०एस०एन०सी० सदस्यों को यह जानकारी देंगे कि प्रसव–पूर्व शिशु के लिंग की जाँच करवाना पूर्णतया प्रतिबन्ध है, और ऐसा करवाना कानूनन अपराध है।
- ☐ घरेलू हिंसा अधिनियम, 2006 के बारे में जानकारी देना कि इसके अन्तर्गत महिलाओं पर घरेलु हिंसा साबित हो जाने पर सजा का प्रावधान है।
- ☐ सहजकर्ता वी०एच०एस०एन०सी० सदस्यों को यह जानकारी देंगे कि 18 साल से कम उम्र में लड़की की शादी करना दण्डनीय अपराध है, और इससे लड़की के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

स्वास्थ्य को बढ़ावा देना :–

सहजकर्ता इस बात पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से गैर संक्रमित रोगों से बचा जा सकता है। ऐसे रोगों का मुख्य कारण हो सकता है :–

- ☐ तम्बाकू अथवा इस से बने पदार्थों का सेवन करना।
- ☐ शराब का सेवन करना।
- ☐ तले हुए खाद्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करना।
- ☐ खाने में नमक का ज्यादा प्रयोग करना।
- ☐ अस्वस्थ जीवन शैली।
- ☐ अनुचित आहार।
- ☐ व्यायाम न करना।

पोषण :–

पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए निम्नलिखित विशयों पर चर्चा हो सकती है :–

- ☐ स्वस्थ भोजन की आदतें पर चर्चा की जा सकती हैं।
- ☐ स्वच्छ और खाना पकाने के उचित तरीकों पर चर्चा की जा सकती है।
- ☐ उचित आहार पर चर्चा की जा सकती है।
- ☐ किशोरियों एवं गर्भवती महिलाओं में अनीमिया की पहचान और उसके निदान के घरेलु उपायों पर चर्चा की जा सकती है।
- ☐ विटामिन एवं सूक्ष्म आहार के महत्व पर चर्चा की जा सकती है।

ससहजकर्ता निम्नलिखित विषयों से संबंधित सलाह दे सकते हैं :–

- ☐ लड़कियों की षिक्षा।
- ☐ विवाह की सही उम्र।
- ☐ गर्भावस्था के समय देखभाल।
- ☐ गर्भावस्था के दौरान खतरे के संकेत।
- ☐ शिशु जन्म की तैयारियां।
- ☐ पोषण का महत्त्व।
- ☐ संस्थागत प्रसव।
- ☐ रेफरल परिवहन।
- ☐ जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाएं।
- ☐ प्रसव–पश्चात देखभाल।
- ☐ स्तनपान और पूरक आहार।
- ☐ नवजात शिशु की देखभाल।
- ☐ गर्भनिरोधक का उपयोग।
- ☐ यदि पिछले महीने कोई मातृ मृत्यु हुई हो तो उसके संदर्भ में समूह चर्चा करना तथा उसके कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

सहजकर्ता, आगंनवाड़ी कार्यकर्त्ता को सेवाओं से वंचित बच्चों की पहचान करने तथा किस प्रकार से उन्हें सेवाओं से जोड़ा जाए, इसकी जानकारी देंगे।

समुदाय आधारित स्वास्थ्य एवं पोशण संबंधी आंकलन प्रपत्र भरना

इस बैठक में वी०एच०एस०एन०सी० के सदस्यों के द्वारा एक–एक प्रपत्र भरा जाएगा। इस प्रपत्र में आंगनवाड़ी सेविका, ए.एन.एम. एवं सहिया के कार्यों से सम्बधित कुछ प्रश्न होगें। ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि इस बैठक में आंगनवाड़ी सेविका, ए.एन.एम. एवं सहिया की उपस्थिति में ही इस प्रपत्र को भरा जाए।

प्रपत्र जब पूरी तरह से भर लिया जाए, मिलने वाले अंक के आधार पर आकलन कर ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों को यह बतलाना आवश्यक है कि आपके द्वारा किए गए आकलन के आधार पर आपके गांव में मिलने वाली सेवाओं की स्थिति क्या है **(अच्छा, संतोशजनक और असंतोशजनक)**

प्रपत्र

समुदाय आधारित स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आंकलन प्रपत्र

जिला :................................प्रखंड :................................पंचायत :................................गांव :................................
आंगनबाड़ी का नाम :...आंगनबाड़ी सेविका का नाम :...
स्वास्थ्य उप–केन्द्र का नाम :....................................ए.एन.एम. का नाम :...
सहिया का नाम :..

आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन के संबंध में आंकलन प्रपत्र				
क्र.सं.	प्रश्न	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिकाएं	प्रतिक्रिया	अंक
1	क्या आंगनबाड़ी केन्द्र में ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस का आयोजन किया जाता है ?	आंगनबाड़ी सेविका की यह जिम्मेवारी है कि प्रतिमाह ए.एन.एम. एवं सहिया के साथ मिल कर ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस का आयोजन करे।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	
2	क्या सेविका गर्भवती महिलायें, अन्य सभी महिलाओं व समुदाय को बच्चे के जन्म के 1 घंटे के भीतर दूध पिलाने के लिए प्रेरित करती है /सलाह देती है ?	सेविका की यह जिम्मेदारी है कि गांव की प्रत्येक गर्भवती महिलाओं, अन्य सभी महिलाओं व समुदाय को जन्म के 1 घंटे के भीतर दूध पिलाने के लिए प्रेरित करे।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	
3	क्या नियमित रूप से 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन लिया जा रहा है और वृद्धि निगरानी चार्ट में दर्ज किया जा रहा है?	सभी 5 वर्श तक की आयु के बच्चों को आंगनबाड़ी में वजन कराया जाना चाहिए। साथ ही इसे वृद्धि निगरानी चार्ट में दर्ज करना चाहिए।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	
4	क्या आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य के बारे में उनके परिवार से चर्चा की जाती है?	आंगनबाड़ी केन्द्र में आने वाले बच्चों के स्वास्थ्य व अच्छी सेहत के बारे में चर्चा करना, आंगनबाड़ी सेविका की जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण भाग है।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	
5	क्या आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा लाभार्थी परिवारों में गृह भ्रमण की जाती है?	आंगनबाड़ी सेविका की यह भी जिम्मेदारी है कि वे लाभार्थी परिवारों का गृह भ्रमण करें व महिलाओं को स्वास्थ्य व पोषण की जानकारी व सलाह दें।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	
6	क्या आपके गांव में गर्भवती एवं धात्री महिलाएं तथा 5 साल तक के बच्चों को नियमित रूप से आंगनबाड़ी सेविका द्वारा पूरक आहार प्राप्त होता है?	गांव के प्रत्येक 3–5 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र द्वारा गरम पका हुआ भो. जन देना है तथा गर्भवती, धात्री महिलाओं एवं 3 साल से छोटे बच्चों को सूखा राशन प्रत्येक माह देना है।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	
7	क्या आंगनबाड़ी सेविका द्वारा कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त आहार दिया जाता है ?	आंगनबाड़ी सेविका की यह जिम्मेवारी है कि कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त भोजन देना है।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	
8	क्या अतिकुपोषित बच्चों को इलाज के लिए कुपोषण उपचार केन्द्र में रेफर किया जाता है।	अतिकुपोषित बच्चों के उचित प्रबन्धन के लिए कुपोषण उपचार केन्द्र में रेफर करना है।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	

क्र.सं.	प्रश्न	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिकाएं	प्रतिक्रिया	अंक
9	क्या आंगनबाड़ी सेविका दूसरा टोला (जहां आंगनबाड़ी नहीं है/जो टोला पहाड़ के उपर है) में गृह भ्रमण के लिए जाती है ?	आंगनबाड़ी सेविका की यह जिम्मेवारी है कि अपने केन्द्र के पोषक क्षेत्र के टोलों में गृह भ्रमण करना है।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	
10	क्या आपके गांव की आंगनबाड़ी सेविका, प्रसव के दो दिनों के अंदर गृह भ्रमण कर नवजात शिशु एवं मां की देख–भाल के बारे में जानकारी देती है।	आंगनबाड़ी सेविका की यह जिम्मेवारी है कि प्रसव के दो दिनों के अंदर गृह भ्रमण कर नवजात शिशु एवं मां की देख–भाल एवं पोषण संबंधी सलाह दे।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	
11	क्या आपके गांव की आंगनबाड़ी सेविका प्रसव के बाद नवजात शिशु का वजन लेती है ?	आंगनबाड़ी सेविका की यह जिम्मेवारी है कि प्रसव के बाद नवजात शिशु का वजन ले।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	

सहिया की भूमीका एवं जिम्मेवारियों के संबंध में आंकलन प्रपत्र

क्र.सं.	प्रश्न	सहिया	प्रतिक्रिया	अंक
1	क्या गर्भावस्था देखभाल और नवजात शिशु देखभाल के दौरान सहिया परामर्श सेवा प्रदान करती है?	गर्भावस्था देखभाल और नवजात शिशु देखभाल के समय सहिया को समुदाय के लोगों को निश्चित रूप से अपनी सलाह देनी चाहिए।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	
2	क्या सहिया जरूरतमंद गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को पास के स्वास्थ्य केन्द्र पर इलाज के लिए ले जाने या वहां तक पहुंचने के लिए व्यवस्था कराती है?	जरूरतमंद गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को पास के स्वास्थ्य केन्द्र पर इलाज के लिए ले जाना या वहां तक पहुंचने के लिए व्यवस्था करानी चाहिए।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	
3	क्या सहिया प्रसव के लिए गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाती है?	प्रसव के लिए अस्पताल में दाखिल होने वाली महिलाओं के साथ सहिया को निश्चित रूप से जाना चाहिए।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	
4	क्या सहिया मामूली बिमारियां जैसे सर्दी, खांसी, दस्त के लिए दवाईयां देती हैं ?	घरेलू स्तर पर होने वाली मामूली बिमारियों के लिए पहली मुलाकात के दौरान सहिया को दवाईयां देनी चाहिए।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	
5	क्या सहिया ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के दिन गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा बच्चों को टीकाकरण के लिए केन्द्र तक लाती है?	सहिया की जिम्मेवारी है कि आंगनबाड़ी के साथ तालमेल कर गांव में बेहतर स्वास्थ्य व पोषण के कार्यो में सहयोग करे।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	
6	क्या सहिया गृह भ्रमण के दौरान समुदाय को स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता आदि के बारे में जानकारी देती है?	सहिया की यह जिम्मेवारी है कि गृह भ्रमण के दौरान समुदाय को स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता के बारे में जानकारी देनी है	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	
7	क्या सहिया की अगुवाई में वीएचएसएनसी की मासिक बैठक होती है?	सहिया की यह जिम्मेवारी है कि नियमित रूप से वी०एच०एस०एन०सी० की बैठक कराये।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	
8	क्या ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के दिन दूसरे टोले (जहां आंगनबाड़ी नहीं है, या जो पहाड़ पर स्थित है या दूर के टोले में है) के लाभार्थियों को सहिया सूचित करती है अथवा बुलाती है?	ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के दिन गांव के सभी टोलों के लोग सहिया द्वारा भाग लेने के लिए सूचना देना है।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	

ए.एन.एम के कार्यों की जिम्मेवारियों के संबंध में आंकलन प्रपत्र

क्र.सं.	प्रश्न	ए.एन.एम. की जिम्मेवारी	प्रतिक्रिया	अंक
1	क्या आपको ए.एन.एम. से नियमित रूप से बुखार, खांसकी या दस्त की दवाएं प्राप्त होती है ?	ग्राम स्तर पर सामान्य बिमारियों जैसे बुखार, खांसी, दस्त, कृमि संक्रमण के उपचार का प्रावधान करना है।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	
2	क्या आपके गांव की ए.एन.एम. आपके गांव में नियमित रूप से ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर उपस्थित रहकर सेवा देती है ?	ए.एन.एम. की यह जिम्मेदारी है कि प्रत्येक माह ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर अपनी सेवायें सुनिष्चित करनी है।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	
3	क्या आपके गांव की ए.एन.एम. नियमित रूप से गंभीर बिमारी से ग्रसित मरीजों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रेफर करती हैं ?	आपातकालीन केसों में उचित स्थान पर त्वरित रेफरल सेवायें प्रदान करना है।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	
4	क्या गर्भवती महिलाओं का ए.एन.एम. द्वारा 4 बार प्रसव पूर्व जांच की जाती है?	ए.एन.एम. गर्भवती महिला का कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांच करेगी जिसमें वजन, ब्लड प्रेशर, खून, पेट की जांच करनी है।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	
5	क्या गर्भवती महिलाओं का ए.एन.एम. द्वारा ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के दिन 100 आयरन गोली एवं 2 टेटनस का टीका दिया जाता है?	ए.एन.एम. द्वारा 100 आयरन की गोली और 2 टेटनस टीके गर्भवती महिला को देने हैं।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	
6	क्या ए.एन.एम. गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करती है?	गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए संस्थ. ागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना है।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	
7	क्या ए.एन.एम. महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना का लाभ दिलवाने में मदद करती है?	ए.एन.एम. की जिम्मेवारी है कि संस्थागत प्रसव करवाने पर जननी सुरक्षा योजना का लाभ दिलवाने में मदद करनी है।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	
8	क्या आपके गांव की ए.एन.एम. नवजात शिशु की देखभाल, पूर्ण टीकाकरण, विटामिन ए की सही खुराक एवं कृमि की दवा सभी लाभार्थी बच्चों को देती है?	ए.एन.एम. द्वारा नवजात शिशु के देखभाल, पूर्ण टीकाकरण, विटामिन ए की सही खुराक एवं कृमि की दवा सभी लाभार्थी बच्चों को देनी है।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	
9	क्या आपके गांव की ए.एन.एम. परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों एवं गर्भनिरोधक के बारे में जानकारी देती है और गर्भनिरोधक की व्यवस्था करती है?	परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों एवं गर्भनिरोधक के बारे में जानकारी देना और गर्भनिरोधक की व्यवस्था करना।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	
10	क्या आपके गांव की ए.एन.एम. घर पर होने वाले प्रसव की सूचना मिलने पर वहां उपस्थित होती है व सुरक्षित प्रसव कराती है व प्रसव के बाद की देखभाल और गर्भनिरोधक सलाह देती है ?	घर पर होने वाले प्रसव की सूचना मिलने पर वहां उपस्थित होना व सुरक्षित प्रसव कराना, प्रसव के बाद की देखभाल और गर्भनिरोधक साधन अपनाने की सलाह देना।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	
11	क्या आपके गांव की ए.एन.एम. प्रसव के दो दिनों के अंदर गृह भ्रमण कर बच्चे एवं मां की देख–भाल के बारे में जानकारी देती है ?	ए.एन.एम. की यह जिम्मेवारी है कि प्रसव के दो दिनों के अंदर गृह भ्रमण कर नवजात शिशु एवं मां के देख–भाल एवं पोषण संबंधी सलाह देनी है।	हाँ– 2 अनिश्चित – 1 नहीं – 0	

प्रपत्र — आंगनवाड़ी में टीकाकरण और पोषाहार स्तर पर मिलनेवाली सेवाएं

सामान्य विवरण

1. जिला ____________________
2. प्रखण्ड ____________________
3. स्वास्थ्य उपकेन्द्र ____________________
4. आंगनवाड़ी केन्द्र (नाम एवं कोड) ____________________
5. ग्राम टोला ____________________
6. समिति मे सदस्यो की संख्या ____________________

क्रम	विवरण	विकल्प	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
1	[illegible]													
2	[illegible]													
3	[illegible]													
4	[illegible]	[illegible]												
5	[illegible]	[illegible]												
6	[illegible]	[illegible]												
7	[illegible]	[illegible]												
A	[illegible]													
1	[illegible]													
2	[illegible]													
B	[illegible]													
	सामग्री	उपलब्धता												
1	[illegible]	[illegible]												
2	[illegible]	[illegible]												
3	[illegible]	[illegible]												
4	[illegible]	[illegible]												
5	[illegible]	[illegible]												
6	[illegible]	[illegible]												
7	[illegible]	[illegible]												
8	[illegible]	[illegible]												
9	[illegible]	[illegible]												
10	[illegible]	[illegible]												
11	[illegible]	[illegible]												
12	[illegible]	[illegible]												
13	[illegible]	[illegible]												
14	[illegible]	[illegible]												
15	[illegible]	[illegible]												
16	[illegible]	[illegible]												
17	[illegible]	[illegible]												
18	[illegible]	[illegible]												
19	[illegible]	[illegible]												
20	[illegible]	[illegible]												
21	[illegible] (Cotrimoxazole) [illegible]	[illegible]												
22	[illegible]	[illegible]												
23	[illegible]	[illegible]												
24	[illegible]	[illegible]												
25	[illegible]	[illegible]												
26	[illegible]	[illegible]												
27	[illegible]	[illegible]												
28	[illegible]	[illegible]												
29	क्या ANM [illegible]													
30	क्या ANM [illegible]													
31	क्या ANM [illegible]													
32	क्या ANM [illegible]													
33	क्या ANM [illegible]													
34	क्या ANM [illegible]	[illegible]												
35	क्या ANM [illegible]	[illegible]												
36	क्या ANM [illegible]													
37	क्या ANM [illegible]													
38	क्या ANM [illegible]													
39	क्या ANM [illegible]													
40	क्या ANM [illegible]													
41	क्या ANM [illegible]													
42	[illegible]													
43	क्या ANM [illegible]													
44	क्या ANM [illegible]	[illegible]												
45	क्या ANM [illegible]	[illegible]												
46	क्या ANM [illegible]	[illegible]												
47	क्या ANM [illegible]													
48	क्या ANM [illegible]													
49	क्या ANM [illegible]													
50	क्या ANM [illegible]													

क्रम	विवरण	विकल्प	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
C	आंगनवाड़ी सेविका द्वारा दी जाने वाली सेवाएं [illegible]													
1	[illegible]													
2	[illegible]													
3	[illegible]													
4	[illegible] MUAC [illegible]													
5	[illegible] (MTC) [illegible]													
6	[illegible]													
7	[illegible]													
8	[illegible]													
9	[illegible]													
10	[illegible]													
D	सेविका द्वारा दी जाने वाली सेवाएं [illegible]													
	सामग्री	उपलब्धता												
1	[illegible]													
2	[illegible]													
3	[illegible]													
4	[illegible]													
5	[illegible]													
6	[illegible]													

Photo Courtesy: Photos were taken from different government guidelines (JSY, JSSK, RBSK, WIFS, RBSK) and IEC materials from nrhm.gov.in. Some photos were also taken from the picture cards of EKJUT.

आंकलन – विश्लेषण

क्र.सं.	विषय	गणना	विश्लेषण
1	आंगनबाड़ी सेविका	कुल अंक –	15 – 20 – अच्छा 10 – 14 – संतोशजनक 0 – 9 – असंतोशजनक
2	सहिया	कुल अंक –	10 – 16 – अच्छा 5 – 9 – संतोशजनक 0 – 4 – असंतोशजनक
3	ए.एन.एम.	कुल अंक –	17 – 22 – अच्छा 11 – 16 – संतोशजनक 0 – 10 – असंतोशजनक

बैठक का सारांस

सहजकर्ता प्रतिभागियों के सहयोग से इस बैठक का सारांष करेंगे और उन्हें बताएंगे कि हमने किन बातों पर चर्चा की, जैसे–

- ☐ ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर मिलने वाली सुविधाओं के आकलन हेतु उदाहरण के रूप में एक सुझावित प्रपत्र भरा गया।
- ☐ सहजकर्ता प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए बताएंगे कि अगली बैठक में प्रस्तुतीकरण, कारण और समाधान के विषय पर चर्चा होगी।

बैठक संख्या 5: प्रस्तुतिकरण, कारण और समाधान

बैठक का उद्देश्य:
गतिविधियों को तीन सत्र में निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है–
1. पूर्व बैठक की समीक्षा।
2. मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य समस्याओं के कारणों पर कहानी बता कर प्राथमिकीकरण करना।
3. प्राथमिकता प्राप्त समस्या का निदान लेकिन क्यों खेल के आधार पर करना।

बैठक का समय :– 1.5 से 2 घंटा।
बैठक में उपयोग करने वाली सामग्री :– पक्चर कार्ड, कहानी, चार्ट पेपर, मार्कर।

चर्चा के विषय

1.
2.
3.

(बैठक करने से पूर्व सभी प्रतिभागियों को एक गोलाई में इस प्रकार बैठायें की सभी प्रतिभागियों कि नजर सहजकर्त्ता पर रहे।

	शीर्षक	उद्धेश्य	विधि	वस्तुएं	समय	वांछित परिणाम
1	समीक्षा	० पूर्व बैठक की सीख पर चर्चा ० पूर्व बैठकों की कार्यवाही के बारे में नये प्रतिभागियों / सदस्यों को सूचित करना।	सदस्यों से पूछ ताछ जो बैठक में शामिल हों	चार्ट, कलम, पिक्चर कार्ड	30 मिनट	० पूर्व बैठक के बीच में सम्बन्ध की समझ। ० पूर्व बैठकों के सीख पर समान समझ बनाना।

बैठक आयोजित करने की विधि–

1. पूर्व बैठक की समीक्षा

- सहजकर्ता पिछली बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागी का हाथ उठवा कर उनकी उपस्थिति को दर्ज करेंगे।
- पिछली बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों से पूछें कि उन्होंने क्या सीखा था।
- खेल एवं महत्वपूर्ण चर्चाओं को याद करने में सहजकर्ता प्रतिभागी की मदद करेंगे।
- 3री बैठक में सक्रिया भागीदारी के लिए सहजकर्ता प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करेंगे।

	शीर्षक	उद्धेश्य	विधि	वस्तुएं	समय	वांछित परिणाम
2	प्राथमिकता प्राप्त समस्या को समझना तथा कारण एवं बचाव जानना।	० प्राथमिकता प्राप्त समस्याओं चिन्हित करना। ० समस्याओं के होने के कारणों से बचाव की समझ	कहानी कहना	कहानी के लिए पटकथा और पिक्चर कार्ड।	1 घंटा	० समस्या का कारण जान सकेंगे। ० समस्या के बचाव को जान सकेंगे।

प्रतिभागियों से पूछें कि इस बैठक में उन्होंने क्या सीखा ? प्रतिभागियों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करें।

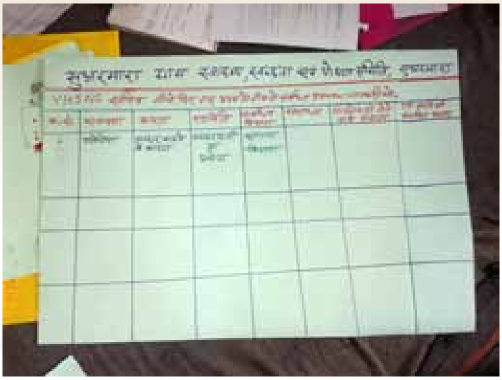

2. कारण पहचानने के लिए कहानी कहना और प्राथमिकता प्राप्त समस्याओं से बचाव की समझ बनाना।

सहजकर्ता कहानी और पिक्चर कार्ड के सहारे महिलाओं को मदद करेंगे जिससे प्राथमिकता प्राप्त समस्या के कारण और प्रभाव समझ सकें। कारण तत्काल और अन्तर्निहित भी होंगी जो समाजिक और चिकित्सा से सम्बन्धित होंगे। कहानी का एक निश्चित विषय होना चाहिए जो स्पष्ट रूप से परिभाषित हो सके, साथ ही पात्र भी स्थानीय संदर्भ (षिषु जन्म से संबंधित वर्तमान प्रचलन की सीख), बातों की तरीका ऐसा अपनायें जिससे समस्या के कारणों उजागर हों । कहानी का अंत नाटकिय हो जो श्रोता पर प्रभावकारी हो।
इस बैठक में सहजकर्ता एक कहानी स्पश्ट करें जो समस्या का अन्तर्निहित और संरचनात्मक कारणों पर बनाया गया हो। कहानी कहने में निम्नाकित बातों को ध्यान में रखें–

- ☐ कहानी की पृश्ठभूमि जो वास्तविक जीवन पर प्रकाश डाले और वास्तविक स्थानीय परिवेश हो, बच्चों के जन्म से संबंधित स्थानीय संस्कृति के ईद–गिर्द हो।
- ☐ दशा के लक्षण।
- ☐ दशा के क्या कारण होंगे–दोनों तत्कालिक एवं अन्तर्निहित।
- ☐ दशा से बचाव कैसे करें।

कहानी कैसे विकसित करें ...

1. समस्या कार्ड का चुनाव करें।
2. अन्य कार्ड पर तात्कालिक एवं अर्न्तनिहीत कारणों का चित्र बनायें।
3. कारण आधारित चित्र पत्र को, इस प्रकार व्यवस्थित करें कि अन्तर्निहित कारण कैसे तात्कालिक कारण बनता है एवं समस्या का मूर्त रूप धारण करता है, पता चले।
4. कहानी में एसे सामाजिक प्रथाओं; रीति रिवाजद्ध को समाहित करें जो समस्याओं को आगे बढ़ाने में सहयोग देते हैं।
5. पिक्चर कार्ड के पीछे लिखी गई प्राथमिकता प्राप्त समस्याओं के कारणों, लक्षणों व बचाव पर कहानी बनायें।
6. समीक्षात्मक बैठक में सहजकर्ता पर्यवेक्षक की मदद से कहानी को पुनः शुद्ध कर सकते हैं।
7. सहजकर्ता पिक्चर कार्ड बनाएंगे जिसके सहारे मुख्य बातों का जिक्र होगा जैसे– एक किशोरी गर्भवती कन्या, रीति रिवाज जो पालन किये जाते हैं आदि। कहानी को बताने के लिए सहजकर्ता हाथ से बने तात्कालिक एवं अन्तर्निहित कारणों वाले चित्र का इस्तेमाल करेंगे एवं कहानी कहते समय हानिकारक प्रथाओं पर भी ध्यान देंगे। कहानी बताते समय पिक्चर कार्ड को जमीन में रखेंगे जैसा कि कहानी का क्रम है। इससे प्रतिभागी को कहानी समझने में सुविधा होगी और कारण प्रभावी होगा तथा प्रतिभागी को समस्याओं के कारण, प्रभाव एवं बचाव के बीच में संबंधों का ज्ञान होगा।
8. गांव के व्यक्ति कहानी के मुख्य पात्र नही होंगे।
9. समस्याओं के अन्तर्निहित एवं सामाजिक आर्थिक कारण कहानी में इस प्रकार गूंथे होने चाहिए कि श्रोता समस्या के कारको को आत्मसात कर सकें।

उदाहरण :–

बिनिता की कहानी

बिनिता सनचोरी गांव की पहाड़टोली में एक आदिम जनजाति परिवार की लड़की थी, उसके गांव में विद्यालय नहीं होने के कारण वह पढ़ाई से वंचित रही। वह बचपन से कमजोर/कुपोषित थी। उसकी सादी 17 साल की उम्र में हो गई जो मुख्य गांव से 15 कि0मी0 की दूरी पर एक पहाड़ पर स्थित टोला था। बिनिता घर का काम करने क बाद जंगल से लकड़ी लाती थी एवं समय–समय पर खेतो में अपने पति का भी हाथ बंटाती थी। इस प्रकार सारा दिन व्यस्त रहने के कारण वह अपने खान–पान एवं शारीरिक देख–भाल पर ध्यान नहीं दे पाती थी। बिनिता के गांव में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं होने के कारण डाड़ी से पिने के लिए पानी लाती थी। जिससे वहां अक्सर डायरिया की भी शिकायत रहती थी एवं जगह–जगह जल जमाव होने के कारण वहां मच्छर भी काफी पनपते थे। शादी के दूसरे माह में ही वह गर्भवती हो जाती है। आंगनवाड़ी केन्द्र गांव के मुख्य टोला जो करीब 3 कि0मी0 की दूरी पर था। आंगनवाड़ी दूर पर होने के कारण वहां से मिलने वाली किसी भी प्रकार की सुविधा से वह वंचित रह गई। वह काफी कमजोरी महसूस करने लगती है, काम करने के समय उसकी सांस फूलने लगती थी और उसके पैरो में भी सूजन था। 8वें माह में उसे तेज बुखार के साथ, सरदर्द, एवं उल्टी शुरू हो गई। काम के बोझ के कारण वह आराम नहीं कर पाई और, और घरवाले इलाज के बजाय पूजा में दो मुर्गा और एक बकरे की बलि करवाते हैं। इस प्रकार 8वें माह में ही वह घर पर ही एक कमजोर लड़की बच्चे को जन्म देती है। प्रसव के दौरान उसे काफी रक्तस्राव होता है और बिनिता धीरे–धीरे कमजोर होने लगती है। उसकी सास ने बच्ची को सर्वप्रथम बकरी का दूध पिलाया जिससे बच्ची धीरे–धीरे सुस्त होने लगी। लड़की बच्ची होने के कारण परिवार वाले ने उस पर ध्यान नहीं दिया और जन्म के पहले सप्ताह में ही वह बच्ची दम तोड़ देती है। बिनिता का भी इलाज नहीं हो पाया और बिस्तर से नहीं उठी। बच्चे की मृत्यु के दो दिन बाद उसकी भी मृत्यु हो गई।

	शीर्षक	**उद्धेश्य**	**तरीके**	**वस्तुएं**	**समय**	**वांछित परिणाम**
3	प्राथमिकता प्राप्त नवजात एवं मातृत्व समस्या के समाधान को पहचानना।	प्राथमिकता प्राप्त समस्या के कारकों के समाधान की पहचान एवं उनके मूल कारकों को पहचानना।	लेकिन क्यों ? खेल	पिक्चर कार्ड इत्यादि	45 मिनट	० प्राथमिकता प्राप्त समस्याओं के निराकरण तक पहुंच। ० समुदाय में पाये जाने वाले नवजात एवं मातृत्व समस्याओं के निवारण करने योग्य समाधान पर पहुंच

3.समस्याओं के निदान को खोजने का तरीका–

सहजकर्ता स्पष्ट करेंगे कि – 'लेकिन क्यों' का खेल खेला जा रहा है।

- इस अभ्यास में शामिल होने के लिए सभी प्रतिभागी को प्रोत्साहित करें ।
- कहानी बताने वाले सत्र के बाद सभी पिक्चर कार्ड को जमीन पर रहने दें।
- सहजकर्ता समूह से प्रष्न करें कि कहानी के अंत में क्या हुआ, बच्चा एवं मां कीं मृत्यु क्यों हुई ? आदि तब तक जब सभी कारकों की पहचान न हो जाय।
- समस्याओं के समाधान के लिए सहजकर्ता प्रतिभागियों से पूछेंगे कि समस्या से बचाव के लिए क्या किया जा सकता था एवं सभी प्रतिउत्तर को लिख कर आगे की चर्चा के लिए रखें।

अंत में प्रतिभागियों से पूछें कि कहानी में अभी तक हुई चर्चाओं से क्या समझा है?
महिलाओं को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करें।

सहजीकरण के लिए शीर्षक से संबंधित निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं–

- समस्या के क्या कारण हैं ?
- समस्या के क्या ततकालीक एवं अर्न्तनिहीत कारण हैं ?
- समस्या के संभावित हल क्या–क्या हैं ?

बैठक का सारांस

- प्रतिभागियेां की मदद से सहजकर्ता सभी चर्चाओं का सारांष करेंगे। इस प्रकार सहजकर्ता यह आकलन कर पायेंगे कि प्रतिभागियों ने कितना समझा है। महिला प्रतिभागियों को बोलने के लिए प्रेरित करेंगे। बैठक का समापन करने से पहले प्रतिभागियों को बतायें कि अब वे प्राथमिकता प्राप्त समस्याओं के समाधान को जान चुके हैं एवं आगामी बैठक में इससे संबंधित रणनीति बनाएंगे।
- सहजकर्ता प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए बताएंगे कि अगली बैठक में ग्राम स्वास्थ्य कार्य–योजना के विषय पर चर्चा होगी।

बैठक संख्या 6: ग्राम स्वास्थ्य कार्य–योजना

बैठक का उद्देश्य:
1. ग्राम स्वास्थ्य कार्य–योजना बनाना
बैठक का समय :– 1.5 से 2 घंटे
बैठक में उपयोग करने वाली सामग्री :– चार्ट पेपर, मारकर पेन

चर्चा के विषय
1. पिछली बैठक की समीक्षा
2. ग्राम स्वास्थ्य कार्य–योजना बनाना

(बैठक करने से पूर्व सभी प्रतिभागियों को एक गोलाई में इस प्रकार बैठायें की सभी प्रतिभागियों कि नजर सहजकर्त्ता पर रहे।

पिछली बैठक की समीक्षा

- ☐ सहजकर्ता सभी प्रतिभागियों से कहेंगे कि वे प्रतिभागी अपना हाथ उठायें जो पिछली बैठक में शामिल हुए थे और हाथ उठाने वाले प्रतिभागियों का नाम लिख लेंगे।
- ☐ प्रतिभागियों से पूछें कि जिन्होंने पिछली बैठकों में भाग लिया था उन्होंने उन बैठकों में क्या सीखा?
- ☐ सहजकर्ता प्रतिभागियों को पिछली बैठकों की चर्चाओं को याद करने में सहयोग करेंगे।

अब सहजकर्ता प्रतिभागियों को इस बैठक में सक्रियता से भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करेंगे।
इस बैठक में यह सुनिश्चित कर लें कि गांव के सभी टोले से एवं सभी सदस्य उपस्थित हों। सबसे पहले सभी प्रतिभागियों को एक गोलाकार स्थिति में खड़ा कर देना है।
ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाने के लिए यह जरूरी है:– हर स्तर से भागीदारी, पारिवारिक स्तर पर स्वास्थ्य पर जागरूकता, समाज के द्वारा साझेदारी में प्रयास तथा अपने वी०एच०एस०एन०सी० संबंधी समस्याओं में सुधार हेतु सरकार से माँग करना। इस पूरे कार्य को 2 बिन्दुओं में विभाजित किया जा सकता है:–

1. स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर अपनी प्राथमिकता बनाना
2. ग्राम स्वास्थ्य कार्य–योजना बनाना

वी०एच०एस०एन०सी० द्वारा अपने गाँव के स्वास्थ्य संबंधी विषयों की प्राथमिकता के लिए:–

1. गाँव में होने वाली मृत्यु और उसके कारणों का एक रजिस्टर बनाया जा सकता है जिससे बिमारी से संबंधित किसी भी मृत्यु की जानकारी मिल सकती है।
2. सभी वी०एच०एस०एन०सी० सदस्यों को प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु का कारण जानना चाहिए और साथ ही मृत व्यक्ति के परिवार के साथ मौखिक साक्षात्कार (ऑटोप्सी) भी करना चाहिए।
3. विकलांगता का सर्वेक्षण कर गाँव के विकलांग लोगों की एक सूची बनाना।
4. केस स्टडी तथा एफजीडी के द्वारा विभिन्न बिमारियों तथा स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में सुधार हेतु जानकारी प्राप्त करना।

उपर की गतिविधियों के द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर ग्राम स्वास्थ्य कार्य–योजना बनाई जा सकती है:–

1. ऐसे कार्य जो लोग अपने पारिवारिक स्तर पर कर सकते हैं जैसे तम्बाकू या उससे बने पदार्थो के सेवन को रोकना क्योंकि कई बिमारियाँ इन चीजों के सेवन से होती हैं।
2. हर व्यक्ति के स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा जैसे किसी भी बिमारी से संबंधित हो सकता है जिसकी स्थानीय स्वास्थ्य प्राथमिकता हो।
3. ऐसे कार्य जो समाज के लोग अपने स्तर पर कर सकते हैं जैसे स्वास्थ्य शिविर लगवाना, बिमारियों कि जाँच करवाने के लिए शिविर लगवाना, साफ पानी के श्रोत कि उपलब्धता करवाना आदि।
4. ऐसे कार्य जिनके लिए स्वास्थ्य विभाग से मदद की आवश्यकता हो – ऐसे कार्यों के लिए प्रखंड अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर के लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा।

सहजकर्ता वी०एच०एस०एन०सी० सदस्यों को बताएंगे कि वे अपने गाँव की आबादी का ब्यौरा नीचे दिए गए प्रपत्र के माध्यम से कर सकते हैं :–

गाँव/ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति का नाम .... दिनांक ....

1. गाँव का नाम : ....2. गाँव के कुल परिवारों की संख्या :.............. 3. गाँव की कुल जन संख्या :..............

(क) पुरूष जनसंख्या : ....(ख) महिला जनसंख्या : ....

4. गर्भवति महिलाओं की संख्या : ....
5. धात्री माताओं की संख्या : ....
6. आंगनबाड़ी केन्द्र में जाने वाले बच्चों की संख्या : ....
7. आंगनबाड़ी नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या : ....
8. विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या : ....
9. विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या : ....
10. 0–2 वर्ष तक के बच्चों की संख्या : ....
11. 2–6 वर्ष तक के बच्चों की संख्या : ....
12. कितने परिवारों में शौचालय है, इसकी संख्या : ....
13. ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस/तिथि : ....
14. गाँव में कुल चापाकलों की संख्या : ....
15. एएनएम/आंगनबाड़ी सेविका/सहिया/जल सहिया का नाम एवं फोन नं. : ....
16. ममता वाहन का नं. : ....
17. जन्म/मृत्यु पंजीकरण का स्थिति : ....
18. चाईल्ड हेल्प लाइन नं. : ....
19. गाँव से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दूरी : ....
20. गाँव से उपकेन्द्र की दूरी : ....
21. गाँव से आंगनबाड़ी केन्द्र की दूरी : ....
22. गाँव से प्राथमिक विद्यालय की दूरी : ....
23. गाँव में स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक का अंतराल/उपस्थिति:..
24. वी०एच०एस०एन०सी० की बैठक का अंतराल/उपस्थिति : ....
25. ग्राम स्वच्छता समिति की बैठक का अंतराल/उपस्थिति : ....
26. ग्राम प्रधान का नाम : ....
27. पंचायत वार्ड सदस्य का नाम : ....
28. मुखिया का नाम : ....
29. पंचायत समिति के सदस्यों के नाम : ....
30. दलित परिवारों की संख्या : ....

वी०एच०एस०एन०सी० सचिव नीचे दिए गए प्रपत्र में गाँव से संबंधित उपलब्ध जानकारी को भरें :

क्र0स0	समस्या	कारण	रणनीति	जिम्मेवारी लेने वाले सदस्य	पूर्ण करने का संभावित संमय

ग्राम स्वास्थ्य योजना कैसे करें :

- ☐ किसी भी योजना को बनाने से पूर्व वहां की सामा. जिक, आर्थिक एवं भौतिक स्थिति का आकलन करना आवश्यक होता है। इसके लिए सभी आवष्यक आँकड़ों (Primary/Secondary) को एकत्रित करें।
- ☐ ग्राम की नजरी नक्शा तैयार करना।
- ☐ सभी की सहमति से विषय को चिहि्नत करें। विषय के निदान के उपायों को सामूहिक चर्चा में रखें।
- ☐ ग्रामसभा की बैठक बुलाएं। बैठक में सभी उप समितियों के प्रारूप को रखें।
- ☐ लिंग (जेंडर) के विषयों पर ध्यान दें तथा जेंडर बजट को भी ध्यान में रखते हुए योजना की तैयारी करें।

ग्राम स्वास्थ्य योजना :

1. ग्रामीण योजना के प्रारूप तैयार करने के लिए उस गाँव के संबंधित विशयों का आंकड़ा ग्रामीणों की सहभागिता (आम सहमति) से इकट्ठा करें।
2. सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए योजना निर्माण का प्रारूप का आकलन तैयार करें।
3. आकलन के बाद उसका कारण/निदान क्या है, उस पर भी सभी की सहभागिता के साथ चर्चा करें।
4. कारण की स्पश्ट जानकारी का उल्लेख करें। इसकी स्पश्टता, योजना के प्रारूप में मदद करती है।
5. इसके लिए आपकी क्या–क्या तैयारी होनी चाहिए।
   - ग्राम सभा की बैठक ।
   - महिला व पुरूष की समान सहभागिता ।
   - बैठक में सभी का निर्णय पर विशेष ध्यान।
   - सभी स्थायी समिति की उपस्थिति को सुनिश्चित करना।
   - स्थायी समिति के प्रारूप को ग्राम सभा के समक्ष रखना।
   - जिम्मेदारी तय करना।

बैठक का सारांस

- ☐ सहजकर्ता प्रतिभागियों के सहयोग से इस बैठक का सारांश करेंगे और उन्हें बताएंगे कि हमने किन बातों पर चर्चा की, जैसे–
  - स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर अपनी प्राथमिकता बनाना
  - ग्राम स्वास्थ्य कार्य–योजना बनाना
  - ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण के विषयों पर जिम्मेदारी तय की गई।
- ☐ सहजकर्ता प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए बतायेंगे एंगे कि अगली बैठक में 'जिम्मेदारियों का बंटवारा' पर चर्चा होगी।

बैठक संख्या 7: जिम्मेदारियों का बंटवारा

बैठक का उद्देश्यः

1. ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों को स्वास्थ्य एवं पोषण के विषयों पर उत्तरदायित्व बनाना
2. स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण संबंधि सेवाओं को सुनिश्चित करना

बैठक का समय :– 1 से 1.5 घंटे

बैठक में उपयोग करने वाली सामग्री :– चार्ट पेपर, मार्कर पेन

चर्चा के विषय

1. पिछली बैठक की समीक्षा
2. जिम्मेदारियों का बंटवारा करना

(बैठक करने से पूर्व सभी प्रतिभागियों को एक गोलाई में इस प्रकार बैठायें की सभी प्रतिभागियों कि नजर सहजकर्त्ता पर रहे।

पिछली बैठक की समीक्षा

- ☐ सहजकर्ता सभी प्रतिभागियों से कहेंगे कि वे प्रतिभागी अपना हाथ उठायें जो पिछली बैठक में शामिल हुए थे और हाथ उठाने वाले प्रतिभागियों का नाम लिख लेंगे।
- ☐ प्रतिभागियों से पूछें कि जिन्होंने पिछली बैठकों में भाग लिया था उन्होंने उन बैठकों में क्या सीखा?
- ☐ सहजकर्ता प्रतिभागियों को पिछली बैठकों की चर्चाओं को याद करने में सहयोग करेंगे।

इस बैठक में यह सुनिश्चित कर लें कि गांव के सभी टोले से एवं सभी सदस्य उपस्थित हो। बैठक के दौरान पिछले बैठक की चर्चा संक्षिप्त में करें। साथ ही इस बात पर भी चर्चा आवश्यक है कि अपने गांव के दूर–दराज के लोग या कोई खास समुदाय जिसको इन सारी सुविधाओं के बारे में जानकारी नहीं है या वे लोग सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनके बीच ये सुविधाएं कैसी पहुंचेंगी या कौन उनको इन सारी सुविधाओं के बारे में बतायेगा? इसके बाद उनके बीच जिम्मेदारियों के बंटवारे पर चर्चा प्रारंभ करें।

बैठक की तिथिः – ग्राम स्वस्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के एक या दो सदस्यों की जिम्मेवारी होगी कि बैठक की तिथि निर्धारित करें तथा यह बैठक में सभी टोले के सदस्यों को निर्धारित तिथि एवं स्थान पर उपस्थित होने की सूचना दे।

पंजीकरण –समिति के किन्ही दो महिला सदस्यों को यह जिम्मेदारी दे कि गांव में सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण गर्भवस्था के प्रथम तिमाही में अवश्य हो। इसके लिए समिति के सदस्यों आं० सेविका एवं ए.एन.एम. से सहयोग ले सकते है।

प्रसव पूर्व जाँच एवं प्रसव पश्चात जाँच – समिति के किन्हीं दो सदस्यों को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि गांव के सभी गर्भवती महिलाओं का जांच समय–समय से हो तथा प्रसव के पश्चात भी जांच हो। इसके लिए समिति के सदस्य आंगवावड़ी सेविका एवं ए.एन.एम. से सहयोग ले सकते है।

संस्थागत प्रसव – समिति के किन्हीं दो सदस्यों को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि अधिकतर प्रसव नजदीकी अस्पताल में हो। इसके लिए उन सदस्यों के पास ममता वाहन के कॉल सेन्टर का फोन नं0 होना चाहिए साथ हीए ए.एन.एम. का फोन नं0 भी होना चाहिए।

टीकाकरण – समिति के किन्हीं दो सदस्यों को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि गांव के सभी 2 साल तक के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हो। साथ ही गर्भवती महिलाओं का भी टीकाकरण समय–समय पर हो।

कुपोषित बच्चों की पहचान एवं रेफर – समिति के किन्हीं दो सदस्यों को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि गांव के सभी 5 वर्ष तक के बच्चों के वजन की जांच हो तथा वृद्धि–निगरानी चार्ट में दर्ज हो। यदि कोई कुपोषित बच्चा मिलता है तो उसे तुरंत कुपोषण उपचार केन्द्र रेफर करने की व्यवस्था की जाय तथा अगर कोई बच्चा कुपोषण उपचार केन्द्र से लौट कर आता है तो उसे फॉलोअप के लिए भी प्रेरित करें।

इस प्रकार कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी/जिम्मेदारियां जो समिति को उचित लगे, उस जिम्मेवारी का बंटवारा सदस्यों के बीच किया जा सकता है।

बैठक का सारांस

- ☐ सहजकर्ता प्रतिभागियों के सहयोग से इस बैठक का सारांश करेंगे और उन्हें बताएंगे कि हमने किन बातों पर चर्चा की, जैसे–
    - ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों को स्वास्थ्य एवं पोषण के विषयों पर उत्तरदायित्व दिया गया।
- ☐ स्हजकर्ता प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए बताएंगे कि अगली बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य संबंधित अन्य सरकारी योजनाओं के विषय पर चर्चा होगी।

बैठक संख्या 8: राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जननी सुरक्षा योजनाए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एवं सरकारी योजनाओं पर चर्चा

बैठक का उद्देश्य:

1. विभिन्न सरकारी योजनाओं (JSY, JSSK, एवं RSBY आदि) पर समझ विकसित करना

बैठक का समय :– 1.5 से 2 घंटे

बैठक में उपयोग करने वाली सामग्री :– चार्ट पेपर, मार्कर या फ्लैक्स

चर्चा के विषय

1. पिछली बैठक की समीक्षा
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एवं एवं अन्य सरकारी योजनाओं को जानना

(बैठक करने से पूर्व सभी प्रतिभागियों को एक गोलाई में इस प्रकार बैठायें की सभी प्रतिभागियों कि नजर सहजकर्त्ता पर रहे।

पिछली बैठक की समीक्षा

- ☐ सहजकर्ता सभी प्रतिभागियों से कहेंगे कि वे प्रतिभागी अपना हाथ उठायें जो पिछली बैठक में शामिल हुए थे और हाथ उठाने वाले प्रतिभागियों का नाम लिख लेंगे।
- ☐ प्रतिभागियों से पूछें कि जिन्होंने पिछली बैठकों में भाग लिया था उन्होंने उन बैठकों में क्या सीखा?
- ☐ सहजकर्ता प्रतिभागियों को पिछली बैठकों की चर्चाओं को याद करने में सहयोग करेंगे।
- ☐

अब सहजकर्ता प्रतिभागियों को इस बैठक में सक्रियता से भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करेंगे।

बैठक प्रारंभ कराने से पहले अलग–अलग चार्ट पेपर पर जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में मिलने वाली सुविधाओं को लिखें। बैठक के दौरान चार्ट पेपर को इस प्रकार से टांगे कि उपस्थित सभी प्रतिभागियों को उसकी लिखावट दिखे। बैठक के दौरान चार्ट पेपर पर लिखी सभी सेवाओं एवं सुविधाओं को एक–एक कर बतलाएं।

बैठक की समाप्ति पर इस चार्ट पेपर को आंगनवाड़ी केन्द्र में इस प्रकार लगा दें कि वह सुरक्षित रह सके तथा सभी को दिख सके। साथ ही चार्ट पेपर पर कुछ महत्पूर्ण नम्बर अवश्य लिखें।

जननी सुरक्षा योजना (JSY)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री जननी शिशु स्वास्थ्य अभियान के तहत संचालित जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित कर मातृ एवं शिशु मृत्यु–दर में कमी लाना है। इस योजना के अन्तर्गत महिला को गर्भवती होते ही अपना पंजीकरण गाँव/शहर की चयनित आंगनवाड़ी केन्द्र, निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर करवाकर जच्चा–बच्चा व जननी सुरक्षा योजना कार्ड प्राप्त करना होता है।

प्रमुख विषेशताएं

- ☐ सरकारी संस्थान में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को
  - ० कितने भी बच्चे को जन्म दे चुकी हो
  - ० किसी भी जाति/धर्म की हो
  - ० गरीबी रेखा से नीचे या ऊपर की हो
- ☐ संस्थागत प्रसव के उपरांत लाभार्थी को 1400 रू. की प्रोत्साहन राषि दी जाती है
- ☐ गृह प्रसव होने की स्थिति में 500 रू सहायता राशि सिर्फ निम्न शर्तों पर दी जायेगी–
  - ० गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को
  - ० 19 वर्ष से अधिक की महिलाओं को
  - ० 2 जीवित बच्चों के जन्म तक

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित मुख्यमंत्री जननी शिशु स्वास्थ्य अभियान का उद्देष्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित कर मातृ एवं शिशु मृत्यु–दर में कमी लाना है। इस योजना के अन्तर्गत महिला को गर्भवती होते ही अपना पंजीकरण गाँव/शहर की चयनित आंगनवाड़ी केन्द्र, निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर करवाकर जच्चा–बच्चा व जननी सुरक्षा योजना कार्ड प्राप्त कर लेना चाहिए।

प्रमुख विषेशताएं

1. यह सुविधा सभी वर्ग की गर्भवती महिलाओं के लिए है
2. यह सभी सरकारी अस्पताल एवं सरकार द्वारा पंजीकृत गैर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है
3. निःशुल्क प्रसव
4. निःशुल्क सिजेरियन प्रसव (बड़ा ऑपरेशन से प्रसव)
5. निःशुल्क दवा
6. निःशुल्क जाँच सुविधा (रक्त जांच, मूत्र ए: अल्ट्रासाउन्ड)
7. निःशुल्क भोजन की व्यवस्था (सामान्य प्रसव में 3 दिन एवं सिजेरियन प्रसव में 7 दिन)
8. निःशुल्क रक्त की व्यवस्था
9. निःशुल्क रेफरल की व्यवस्था
10. निःशुल्क परिवहन (घर से अस्पताल एव अस्पताल से घर तक)
11. उपभोक्ता शुल्क में छूट
12. एक माह तक के रोग–ग्रस्त बच्चे को :
    - ० निःशुल्क उपचार
    - ० निःशुल्क दवा
    - ० निःशुल्क जाँच
    - ० निःशुल्क रक्त की व्यवस्था
    - ० निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था
    - ० उपभोक्ता शुल्क में छूट

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)

- ☐ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुविधा।
- ☐ पांच सदस्यों के परिवार के लिए 30,000 रुपये का सालाना बीमा।
- ☐ 24 घंटे या उससे अधिक समय तक अस्पताल में रहने की स्थिति में बीमा का लाभ।
- ☐ किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी पंजीकृत अस्पतालों में इलाज की सुविधा।

प्रमुख विषेशताएं

1. इस योजना का लाभ बी.पी.एल./मनरेगा कर्मी/घरेलु नौकर/गली–मुहल्ले में सामान बेचने वाले/भवन निर्माण का काम करने वाले मजदूर के परिवारों को मिलता है।
2. स्मार्ट कार्ड बनवाने हेतु 30 रूपये पंजीकरण शुल्क लगता है। कार्ड खोने या नष्ट हो जाने पर नये कार्ड हेतु 30 रूपये पुनः जमा होंगे।
3. योजना के अन्तर्गत जिले के सभी प्रखण्ड स्तरीय अस्पतालों, सदर अस्पताल एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ गैर–सरकारी अस्पतालों में स्मार्ट कार्ड के माध्यम से इलाज की सुविधा है।
4. इलाज एवं उसके दौरान किये गये जॉचों के लिए रोगी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं होती है।
5. इलाज के दौरान भोजन एवं छुट्टी के समय लाभार्थी को परिवहन भत्ते के रूप में 100 रूपये दिये जाने का प्रावधान है। इसकी वार्षिक सीमा 1,000 रुपये है।
6. सुरक्षित प्रसव को प्रोत्साहन देने के लिए मातृत्व लाभ को भी स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल किया गया है।
7. स्मार्ट कार्ड लाभार्थी के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। यह एक पहचान पत्र के रूप में भी काम आता है।
8. जिला श्रम अधीक्षक की अध्यक्षता में प्रत्येक माह एक निर्धारित दिन में उनके कार्यालय में स्मार्ट कार्ड से सम्बन्धित मुद्दों पर सुनवाई की जाती है।

बीमा योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र की
सहिया/आंगनबाड़ी सेविका/ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू/एफ.एच.डब्ल्यू से सम्पर्क कर सकते हैं।
आप टोल–फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1800–1800–4444 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए 0651–2482040 (राँची) पर भी संपर्क कर सकते हैं।

बैठक का सारांस

- ☐ सहजकर्ता प्रतिभागियों के सहयोग से इस बैठक क सारांश करेंगे और उन्हें बताएंगे कि हमने किन बातों पर चर्चा की और क्या जानकारी प्राप्त हुई, जैसे–
  - गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव हेतु जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य संबंधित अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी हुई।
  - गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए राश्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जानकारी हुई।
- ☐ सहजकर्ता प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए बताएंगे कि अगली बैठक में ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठकों की कार्यवाही को लिखना, वित्तीय ब्यौरा लिखने पर चर्चा होगी।

बैठक संख्या 9: वी०एच०एस०एन०सी० के बैठकों की कार्यवाही को लिखना, वित्तिय ब्योरा लिखने पर समझ बनाना

बैठक का उद्देश्य:

1. वी०एच०एस०एन०सी० की बैठकों में हुई कार्यवाही को लिखने की समझ बनाना।
2. वी०एच०एस०एन०सी० के वित्तीय ब्यौरे को लिखने की समझ बनाना।

बैठक का समय :– 1.5 से 2 घंटे

बैठक में उपयोग करने वाली सामग्री :– पेन, चार्ट पेपर, वी०एच०एस०एन०सी० रजिस्टर

चर्चा के विषय

1. वी०एच०एस०एन०सी० द्वारा किस प्रकार से रिकार्ड (वी०एच०एस०एन०सी० की कार्यवाही, लिए गए निर्णय) रखा जाता है।
2. किस प्रकार से वी०एच०एस०एन०सी० के रिकार्ड को सुचारू रूप से रखा जा सकता है।

(बैठक करने से पूर्व सभी प्रतिभागियों को एक गोलाई में इस प्रकार बैठायें की सभी प्रतिभागियों कि नजर सहजकर्त्ता पर रहे।

पिछली बैठक की समीक्षा

- ☐ सहजकर्ता सभी प्रतिभागियों से कहेंगे कि वे प्रतिभागी अपना हाथ उठायें जो पिछली बैठक में शामिल हुए थे और हाथ उठाने वाले प्रतिभागियों का नाम लिख लेंगे।
- ☐ प्रतिभागियों से पूछें कि जिन्होंने पिछली बैठकों में भाग लिया था उन्होंने उन बैठकों में क्या सीखा?
- ☐ सहजकर्ता प्रतिभागियों को पिछली बैठकों की चर्चाओं को याद करने में सहयोग करेंगे।

सहजकर्ता वी०एच०एस०एन०सी० सदस्यों को बताएंगे की उनके द्वारा अध्यतन किए जाने वाले रजिस्टर निम्न प्रकार के होते हैं :–

- ☐ बैठक रजिस्टर
- ☐ रिकोर्ड रजिस्टर जिसमें चर्चा का ब्योरा दिया हो तथा जिसमें खर्च से पहले वी०एच०एस०एन०सी० सदस्यों द्वारा उस खर्च की अनुमति दी गई हो।
- ☐ बैंक का पासबुक और कैशबुक
- ☐ .वी०एच०एस०एन०सी० मॉनिटरिंग रजिस्टर
- ☐ जन्म रजिस्टर
- ☐ मृत्यु रजिस्टर
- ☐ ग्राम स्वास्थ्य कार्य योजना – हर साल का कार्य योजना, जब से बनाना गया हो।

वी०एच०एस०एन०सी० की मसिक बैठकों में उपस्थिति का रिकार्ड

गाँव .... ग्राम पंचायत.......................................ब्लॉक..					
बैठक का स्थान.....................................दिनांक...समय..					
बैठक का उद्देश्य					
	क्रमांक	नाम	टोला	हस्ताक्षर	
अगर कोई विशिष्ट अतिथि ने बैठक में भाग लिया हो तो उनका नाम लिखें।					

वी०एच०एस०एन०सी० की मसिक बैठक चर्चा का रिकार्ड

बैठक का मुद्दा	मुख्य चर्चा का विषय	लिया गया निर्णय	उन व्यक्तियों का नाम जिन्हें कोई जिम्मेदारी दी गई है	अगर किसी प्रकार का खर्च इससे जुड़ा है तो उसका ब्योरा
कोई विशिष्ट मुद्दा जिस पर बैठक की गई हो।				
सचिव का हस्ताक्षर				अध्यक्ष का हस्ताक्षर

सहजकर्ता वी०एच०एस०एन०सी० सदस्यों को बताएंगे

1. वी०एच०एस०एन०सी० के द्वारा वीएचएसएनसी के खर्च का ब्यौरा सालाना ग्राम सभा में प्रस्तुत करना चाहिए। इस वार्षिक ग्राम सभा में ग्राम योजना के बजट पर ग्राम पंचायत में चर्चा होती है।
2. वार्षिक योजना के खर्च का ब्यौरा जो वी०एच०एस०एन०सी० द्वारा बनाया गया है, वह ग्राम पंचायत के द्वारा अनुसरण करके प्रखंड स्तर पर NRHM के कर्मचारियों को उनके अनुमोदन के लिए सौपेंगे।
3. वी०एच०एस०एन०सी० द्वारा पिछले तीन साल के खर्च का ब्यौरा रखना जरूरी है तथा उसे ग्राम सभा से साझा करना है। इसके बाद पिछले 10 साल का Statement of Expenditure (SOE) का अद्यतन रखना है।
4. राज्य स्तर पर NRHM के द्वारा जिला अथवा प्रखंड स्तर पर दी गई राशि (पूर्व आग्रहीत राशि) मानी जाएगी और यह राशि खर्च के रूप में Statement of Expenditure (SOE) की प्राप्ति पर खर्च मानी जाएगी।
5. जिला स्तर पर सैम्पल के आधार पर वी०एच०एस०एन०सी० अकाउंट का वार्षिक ऑडिट किया जाएगा।
6. खर्च का ब्यौरा नीचे दिए गए प्रपत्र के आधार पर भरा जा सकता है।
7. अगर वी०एच०एस०एन०सी० को राशि की प्राप्ति देर से हुई है तो इस स्थिति में पिछले 6 महीने का खर्च का ब्यौरा देना होगा। जहाँ वी०एच०एस०एन०सी० के अकाउंट हैं और राषि खर्च नहीं हुई है, उस स्थिति में राशि को एडवांस माना जाएगा। आने वाले वर्ष में जिला उस वी०एच०एस०एन०सी० को unsettled advances के रूप में मानेगा।

वी०एच०एस०एन०सी० के लिए कैश–बुक

कैष–बुक में हर आय और व्यय से संबंधित आंकड़े को अद्यतन करना। कैष–बुक को अद्यतन करने की जिम्मेदारी वी०एच०एस०एन०सी० की सचिव/सहिया की होगी। इसके लिए वह आंगनबाड़ी सेविका/ए०एन०एम०/वी०एच०एस०एन०सी० अध्यक्ष की मदद ले सकती है।

भाग 1 में वी०एच०एस०एन०सी० के कैष–बुक में वी०एच०एस०एन०सी० की आय (untied fund, donation, other source) और भाग 2 में वी०एच०एस०एन०सी० के खर्च का ब्यौरा होगा।

भाग 1 – आय का ब्योरा (कैष बुक के बाएं तरफ)

क्रमांक	खाता का शुरूआती रकम	वी०एच०एस०एन०सी० द्वारा प्राप्त की गई राशि/दान/ मुक्त राशि	वी०एच०एस०एन०सी० द्वारा प्राप्त की गई राशि राशि/दान/ मुक्त राशि (चेक/ड्राफ्ट/कैशा)	वी०एच०एस०एन०सी० द्वारा प्राप्त की गई राशि/दान/ आय (लाल कलम से लिखें)	दान अथवा आय का श्रोत	वी०एच०एस०एन०सी० सेकरेटरी (सचिव) का हस्ताक्षर

भाग 2 – खर्च का ब्योरा (कैष बुक के दाएं तरफ)

क्रमांक	वी०एच०एस०एन०सी० द्वारा का खर्च की राषि	वी०एच०एस०एन०सी० द्वारा खर्च का ब्योरा	वी०एच०एस०एन०सी० द्वारा खर्च का ब्योरा (वाउचर/बिल नं.)	खर्च कि तारीख (लाल कलम से लिखें)	कार्य का ब्योरा जिसपर खर्च किया गया है	वी०एच०एस०एन०सी० सेकरेटरी (सचिव) का हस्ताक्षर

खर्च का विवरण

क्रमांक	गतिविधि कि अवधि (तारीख/ महीना)	कार्य का नाम	उद्देश्य (लाभुक का नाम और ब्योरा)	खर्च का ब्योरा (वस्तु का दाम, खर्च का विस्तृत ब्योरा)	गतिविधि पर खर्च की गई कुल राशी राशि	वी०एच०एस०एन०सी० सेकरेटरी (सचिव) का हस्ताक्षर
कुल खर्च की गई राशि (सभी गतिविधि)						
कुल प्राप्त की गई राशि						
बची हुई कुल राशि						
1. रोकड़ (हाथ में उपलब्ध राशि						
2. खाते में उपलब्ध कुल राशि						

बैठक का सारांस

- ☐ सहजकर्ता प्रतिभागियों के सहयोग से इस बैठक का सारांश करेंगे और उन्हें बताएंगे कि हमने किन बातों पर चर्चा की, जैसे–
  - वी०एच०एस०एन०सी० मसिक बैठकों में उपस्थिति का रिकार्ड
  - वी०एच०एस०एन०सी० मसिक बैठक चर्चा का रिकार्ड
  - खर्च का ब्योरा दिए गए फॉरमेट के आधार पर भराना आदि
- ☐ सहजकर्ता प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए बताएंगे कि अगली बैठक में ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति मुक्त राशि (अनटाइड फंड) पर चर्चा होगी।

बैठक संख्या 10: ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति मुक्त राशि (अनटाइड फंड)

बैठक का उद्देश्य:

1. ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की मुक्त राशि (अनटाइड फंड) के उपयोग पर समझ विकसित करना

बैठक का समय :– 1 से 1.5 घंटे

बैठक में उपयोग करने वाली सामग्री :–

चर्चा के विषय

1. पिछली बैठक की समीक्षा
2. ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति मुक्त राशि (अनटाइड फंड) के उपयोग को जानना

(बैठक करने से पूर्व सभी प्रतिभागियों को एक गोलाई में इस प्रकार बैठायें की सभी प्रतिभागियों कि नजर सहजकर्त्ता पर रहे।

पिछली बैठक की समीक्षा

- ☐ सहजकर्ता सभी प्रतिभागियों से कहेंगे कि वे प्रतिभागी अपना हाथ उठायें जो पिछली बैठक में शामिल हुए थे और हाथ उठाने वाले प्रतिभागियों का नाम लिख लेंगे।
- ☐ प्रतिभागियों से पूछें कि जिन्होंने पिछली बैठकों में भाग लिया था उन्होंने उन बैठकों में क्या सीखा?
- ☐ सहजकर्ता प्रतिभागियों को पिछली बैठकों की चर्चाओं को याद करने में सहयोग करेंगे।

अब सहजकर्ता प्रतिभागियों को इस बैठक में सक्रियता से भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करेंगे।

वी०एच०एस०एन०सी० के बारे में जानकारी

''राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन'' के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (Village Health, Sanitation and Nutrition Committee,VHSNC/वी०एच०एस०एन०सी०) का गठन किया गया है। निम्न बिंदु ध्यान देने योग्य है, जिससे स्थायी समिति को क्रियाशील करते हुए उसके माध्यम से ग्राम में ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति का गठन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुरुप किया जा सकता है–

- ☐ व्यावहारिक तौर पर ''स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति'' का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायतों की स्थाई समिति ''शिक्षा,स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति'' को कार्यशील बनाया जाना होगा।
- ☐ वी०एच०एस०एन०सी०, केंद्रीकृत संचालन पर निर्भर ना रहे और स्थानीय तौर पर आवश्यकतानुसार योजना बनाकर कार्य करे, इसके लिये ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को स्थानीय आवश्यक कार्यो हेतु वित्त एवं मानवीय संसाधन को उपलब्ध कराया जाना होगा।
- ☐ वी०एच०एस०एन०सी० में महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों या अन्य नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों को स्थान देना होगा।
- ☐ वी०एच०एस०एन०सी० की बैठकों में ''शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति'' के सभी सदस्यों की उपस्थि.ति सुनिश्चित करना होगा ताकि इससे संबंधित टोलों, वार्डों या पंचायत के आश्रित ग्रामों से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं को बेहतर तरीके से ग्राम स्तर पर चिह्नित कर पायेंगे और ग्रामवासी बैठक के द्वारा उस समस्या का निदान कर सकेंगे।

"अनटाइड फंड" क्या है?

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वी०एच०एस०एन०सी० को 10,000/– मुक्त राशि " अनटाइड फंड" देकर प्रभावी बनाया गया है। यह मात्र प्रोत्साहन राशि है। पंचायत चाहे तो स्वच्छत भारत मिशन, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण एवं पंचायत विभाग, शिक्षा विभाग आदि से सहयोग लेकर अपनी पंचायत की स्वास्थ्य स्थिति को ऊपर उठाने के लिए विशेष पहल कर सकती है।

यह बैठक चर्चा के माध्यम से की जायेगी।

सभी ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से प्रत्येक वर्ष 10,000/– (दस हजार) रुपये मात्र अनटाईड फंड के रूप में मिलता है। इस राशि का उपयोग जन समुदाय के लाभ को ध्यान में रखकर किया जाए। जैसे –स्वास्थ्य, पोषण, पानी एवं साफ–सफाई आदि। इस राशि का उपयोग व्यक्तिगत या किसी खास परिवार के फायदे के लिए नहीं किया जा सकता है।

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियां अपने स्थानीय/गाँव स्तर पर भी राशि संग्रह/दान कर अनटाइड फंड को बढ़ा सकती हैं।

राशि की प्राप्ति

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के द्वारा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के बैंक खाता में चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट या कोर बैंकिग के माध्यम से अनटाइड राशि की प्राप्ति होती है।

राशि का प्रबन्धन

अनटाइड राशि की प्राप्ति के लिए प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति को अपने निकटतम किसी राष्ट्रीयकृत ग्रामीण बैंक/कॉपरेटिव बैंक/पोस्ट ऑफिस में ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के नाम से खाता खोलना चाहिए।

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की तरफ से राशि निकालने के लिए संयुक्त रूप से ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के अध्यक्ष एवं सचिव/ सहिया के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि को निकाला जा सकता है।

अनटाईड फंड से निम्नलिखित कार्य किया जा सकता है :–

- अत्यन्त गरीब महिला तथा अनाथ बच्चों के इलाज हेतु आकस्मिक परिस्थितियों में वी०एच०एस०एन०सी० द्वारा बहुमत के आधार पर अनटाईड फंड का उपयोग रिवॉल्विंग फंड के रूप में किया जा सकता है।
- अनटाईड फंड का उपयोग गाँव और टोलों में सामुदायिक स्वास्थ्य संबंधी कार्यो के लिए किया जा सकता है। जैसे–घर एवं पास पड़ोस में फैले कूड़े–कचड़े की सफाई, कूड़े–दान की खरीद करना, गंदी नालियों की सफाई, गड्ढों को भरना जहाँ मच्छरों के फैलने की आशंका हो।
- आंगनबाड़ी से संबंधित गतिविधियों जिससे बच्चों के बीच भोजन करने की स्वस्थ आदतों, खाद्य पदार्थो को बढ़ावा मिले या बच्चों में रोग का पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग कैंप लगाया जा सकता है।
- बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों जैसे मलेरिया, डेंगू, पीने के साफ पानी का महत्व, पोषक खाद्य पदार्थो के प्रचार–प्रसार के लिए फंड का उपयोग किया जा सकता है।
- गांव में चिकित्सा शिविर लगाने, ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस में जो खर्च आए उसके लिए इस राशि का उपयोग किया जा सकता है।
- किसी रोगी को आकस्मिक स्थिति में रेफर के लिए रेफरल की व्यवस्था कर राशि का उपयोग किया जा सकता है।
- बाढ़ या महामारी की स्थिति से निपटने के लिए राहत के रूप में ओ0आर0एस0 घोल, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरिन की गोलियां आदि की खरीद के लिए राशि का उपयोग ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक के निर्णय के उपरांत किया जा सकता है। यह निर्णय, बैठक–पुस्तिका/रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए।

- ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक स्थल का नाम एवं सदस्यों के नाम लिखने एवं साईन बोर्ड के खर्च के लिए इस राशि का उपयोग किया जा सकता है।
- आवश्यक स्टेशनरी जैसे पेन, रजिस्टर आदि खरीदने में इस राशि का उपयोग किया जा सकता है।
- अगर अन्य ग्राम स्तरीय समिति द्वारा कोई कार्यक्रम गांव के लिए जैसे पर्यावरणीय जागरूकता आदि एवं सामाजिक अंधविश्वास निवारण जागरूकता कार्यक्रम, जैसे डायन कुप्रथा आदि कार्यक्रम के आयोजन में आंशिक योगदान की राशि उपयोग में लायी जा सकती है।
- इस फंड से सहिया को मोबाइल खर्च/रजिस्टर्ड पत्र आदि में खर्च के लिए 100 रूपये प्रति माह उपयोग के लिए दिया जा सकता है।
- ऐसा कोई खर्च जिससे ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति को अपनी भूमीका एवं उत्तरदायित्व पूरा करने में सहयोग हो तो इस राशि को उपयोग में लाया जा सकता है।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लिए प्रचार–प्रसार सामग्री में अधिक से अधिक प्रति माह 200 रूपये खर्च किया जा सकता है।
- वी०एच०एस०एन०सी०, सहिया, साहिया साथी, ए.एन.एम., आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, महिला समूह के किसी सदस्य द्वारा, स्थानीय स्वयं सहायता समूह आदि द्वारा उक्त वर्ष में अपना कर्तव्य के उपर/बाहर किसी साहसी कार्य के लिए प्रोत्साहन की घोषणा कर सकती है।
- इस राशि का उपयोग ऐसे किसी गतिविधि में नहीं किया जा सकता जिससे एक व्यक्ति या उसके परिवार का ही लाभ हो।

बैठक का सारांस

☐ सहजकर्ता प्रतिभागियों के सहयोग से इस बैठक का सारांश करेंगे और उन्हें बताएंगे कि हमने किन बातों पर चर्चा की, जैसे–

  - ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्य, बैठक में सबकी सहमति से मुक्त राशि (अनटाइड फंड) का उपयोग गाँव के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने हेतु कर सकते हैं।

☐ सहजकर्ता प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए बताएंगे कि अगली बैठक में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के बारे में चर्चा होगी।

बैठक संख्या 11: जन्म और मृत्यु का पंजीकरण

बैठक का उद्देश्य:
1. पिछली बैठक की मुख्य बातों को याद करना।
2. जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के महत्व को समझना।

बैठक का समय :– 1 घंटे
बैठक में उपयोग करने वाली सामग्री :– चार्ट, मार्कर, रजिस्टर, पेन

चर्चा के विषय

1. पिछली बैठक की समीक्षा
2 जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के बारे में जानना

(बैठक करने से पूर्व सभी प्रतिभागियों को एक गोलाई में इस प्रकार बैठायें की सभी प्रतिभागियों कि नजर सहजकर्त्ता पर रहे।

पिछली बैठक की समीक्षा

- ☐ सहजकर्ता सभी प्रतिभागियों से कहेंगे कि वे प्रतिभागी अपना हाथ उठायें जो पिछली बैठक में शामिल हुए थे और हाथ उठाने वाले प्रतिभागियों का नाम लिख लेंगे।
- ☐ प्रतिभागियों से पूछें कि जिन्होंने पिछली बैठकों में भाग लिया था उन्होंने उन बैठकों में क्या सीखा?
- ☐ सहजकर्ता प्रतिभागियों को पिछली बैठकों की चर्चाओं को याद करने में सहयोग करेंगे।

अब सहजकर्ता प्रतिभागियों को इस बैठक में सक्रियता से भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करेंगे।

बैठक आयोजित करने का तरीका

यह बैठक चर्चा के माध्यम से की जायेगी, बैठक में यह सुनिश्चित कर लें कि गाँव के सभी टोले से सभी सदस्यों की भागीदारी हो। (इस बैठक को कराने से पहले सहजकर्ता चार्ट पेपर पर जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लाभ को लिख लें।) बैठक के दौरान चार्ट पेपर जिसमें जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का लाभ लिखा हुआ है, उसे इस प्रकार से टांगे कि उपस्थित सभी प्रतिभागियों को उसकी लिखावट दिखे। बैठक के दौरान चार्ट पेपर पर लिखे सभी लाभ को एक–एक कर बतलाएं।

जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लाभ

जन्म पंजीकरण तथा जन्म प्रमाण पत्र संबंधित व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान और सुरक्षा के लिए नीचे दिए गए निम्नलिखित उपयोग के लिए आवश्यक है–

1. जन्म के तथ्य को साबित करने के लिए ताकी

- यह साबित किया जा सके की संबंधित व्यक्ति परिवार का हिस्सा है
- पारिवारिक रिश्ते को साबित किया जा सके
- विरासत और संपदा अधिकारों को व्यवस्थित किया जा सके

2. **जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए**

- विद्यालयों में नामांकन हेतु
- सरकारी/अर्ध सरकारी/निजी संस्थानों में नामांकन हेतु
- सेना में भर्ती हेतु
- मतदान अधिकार हेतु
- बीमा पॉलिसी लेने हेतु
- ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु
- कोई अन्य प्रयोजन जहाँ अधिकतम या न्युनतम आयु सीमा का उल्लेख करना हो
- विवाह के लिए आयु पूरी होने पर विवाह करने के अधिकार का दावा करने हेतु

3. **जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए**

- मतदान अधिकार हेतु
- निवास स्थान के प्रमाण हेतु
- पासपोर्ट हेतु

मृत्यु पंजीकरण :

मृत्यु :मृत्यु का पंजीकरण तथा मृत्यु प्रमाण पत्र निम्न तरीकों से, मृत्यु के तथ्य को साबित करने के लिए आवश्यक है :

- ☐ मृत्यु की तारीख और समय को साबित करने के लिए
- ☐ संबंधित व्यक्ति को सामाजिक, कानूनी और सरकारी दायित्वों से हटाने हेतु मृत्यु के तथ्य को साबित करने के लिए
- ☐ संपत्ति, बीमा और सामाजिक सुरक्षा आदि पर दावा करने हेतु
- ☐ जन स्वास्थ्य योजना – बीमारी और उसकी रोकथाम का पता लगाने हेतु

जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए आवष्यक जानकारी

जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लाभ पर चर्चा पूरी करने के बाद, सहजकर्ता बैठक के प्रतिभागियों को यह बताएंगे कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण केन्द्र/प्रखंड विकास अधिकारी (BDO)/नगर निगम कार्यालय से करवाया जा सकता है। जन्म अथवा मृत्यु के प्रमाण हेतु मुखिया/वार्ड सदस्य से सत्यापित कराया जा सकता है। जन्म अथवा मृत्यु अगर सरकारी अस्पताल प्रज्ञा में हुआ है तो उस आधार पर प्रज्ञा केन्द्र/प्रखंड विकास अधिकारी (BDO)/नगर निगम कार्यालय से कराया जा सकता है। ग्रामीण स्तर पर आंगनवाड़ी केन्द्रों में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण रजिस्टर होता है। सहजकर्ता बैठक के प्रतिभागियों को यह भी जानकारी देंगे कि जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए किन–किन बातों की जानकारी आवश्यक है।

(इस बैठक को कराने से पहले सहजकर्ता चार्ट पेपर पर प्रपत्र – क और प्रपत्र – ख को बना लें।)

1. **जन्म रजिस्टर:**

गाँव का नामः...............................

पंचायत का नामः.........................

प्रपत्र – क

क्र. सं.	शिशु का नाम	शिशु का लिंग	माता और पिता का नाम	परिवार का पता	जन्म तिथि	जन्म का समय	जन्म का स्थान	जन्म के समय वजन

1. मृत्यु रजिस्टरः

गाँव का नामः................................

पंचायत का नामः..........................

प्रपत्र – ख

क्र. सं.	मृत व्यक्ति का नाम	आयु और लिंग	पिता/पति का नाम	परिवार का पता	मृत्यु कि तिथि	मृत्यु का स्थान	मृत्यु का कारण

बैठक के समाप्त होने पर जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लाभ और प्रपत्र– क और प्रपत्र – ख, वाले चार्ट पेपर को आंगनवाड़ी केन्द्र/सामुदायिक भवन या अन्य किसी ऐसी जगह लगा दें जहां यह सुरक्षित रह सके और इस प्रकार लगाएं कि सभी लोग इसे देख सके।

बैठक का सारांस

- ☐ सहजकर्ता प्रतिभागियों के सहयोग से इस बैठक का सारांश करेंगे और उन्हें बतायेंगे कि हमने किन बातों पर चर्चा की, जैसे –
    - ○ जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई।
    - ○ जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के रजिस्टर को अद्यतन करने की जानकारी मिली।
    - ○ रजिस्टर को अद्यतन करने में वी०एच०एस०एन०सी० की एक महत्वपूर्ण भूमिका की जानकारी हुई।
- ☐ सहजकर्ता प्रतिभागियों को धन्यवाद करते हुए बताएंगे कि अगली बैठक में सहभागी मूल्यांकन एवं भविष्य की योजना पर चर्चा करेंगे।

बैठक संख्या 12: सहभागी मूल्यांकन और भविष्य की योजना

बैठक का उद्देश्य:

1. पिछली 11 बैठकों की पुनरावृत्ति
2. समूह को इस बैठक में पिछली सभी बैठकों का अनुभव बांटने का एक अवसर प्रदान करना
3. समुदाय में इस बैठक में पिछली सभी बैठकों के प्रभाव का मूल्यांकन करना
4. भविष्य की योजना बनाना

बैठक का समय :– 2 घंटे

बैठक में उपयोग करने वाली सामग्री :– रणनीति प्रगति प्रारूप, चार्ट पेपर, बैठक के सभी चरणों व सामुदायिक बैठकों के पिक्चर, रजिस्टर और पेन

चर्चा के विषय

गतिविधियों को 4 सत्रों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार है :

1. पिछली सभी बैठक की पुनरावृत्ति तथा अपने अनुभव बांटना
2. पिछली सभी बैठकों का मूल्यांकन
3. बैठकों के दौरान की गयी गतिविधियों और पिछली सभी बैठक क्रम का मूल्यांकन
4. भविष्य की योजना

(बैठक करने से पूर्व सभी प्रतिभागियों को एक गोलाई में इस प्रकार बैठायें की सभी प्रतिभागियों कि नजर सहजकर्त्ता पर रहे।

बैठक आयोजित करने का तरीका :

1. पिछली सभी बैठकों की पुनरावृति तथा अनुभव बांटना :

- ☐ समूह को पिछली बैठकों में चर्चा किये गए महत्वपूर्ण मुद्दों को याद करने के लिये कहें, समूह के प्रत्येक सदस्य को अपने विचार रखने के लिये प्रोत्साहित करें।
- ☐ सहजकर्ता सभी प्रमिभागियों से अपने यादगार अनुभव बांटने के लिये कहेंगे।
- ☐ पिछली बैठकों के दौरान कोई ऐसी घटना या अनुभव जो खास हो या जो हमेशा याद रखने लायक हो।
- ☐ नीचे दिये गये बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सदस्य को अपने अनुभव रखने के लिये कहें :
  - बैठकों में क्या हुआ था ?
  - कौन कौन लोग उपस्थित थे?
  - आपको कैसा लगा?
  - आपने क्या किया?
  - आपकी किसने और कैसे मदद की?
  - ऐसा क्या था जिसने उस अनुभव को यादगार बना दिया?
- ☐ सहजकर्ता उनके अनुभवों को नोट कर लेगी और उन्हें इतने महत्वपूर्ण अनुभवों को सबके साथ बांटने के लिये धन्यवाद देगी।

2. पिछली सभी बैठकों का मूल्यांकन

सहजकर्ता एक चार्ट तैयार करेंगे जिसमें बैठक क्रम के सभी 12 बैठकों का नाम लिख लेंगे। जिस बैठक को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हों, सहजकर्ता सभी सदस्यों को उस बैठक के नाम के सामने पत्थर रखने के लिये कहेंगे।

जब सभी सदस्य पत्थर रख लें तब सहजकर्ता नीचे दिये गये सवालों को जिनमें सबसे ज्यादा पत्थर आये हों उन बैठकों के लिए पूछें :

1. वह खास बैठक क्यों पसन्द आयी?
2. पिछली सभी बैठकों से उन्होंने क्या सीखा?
3. क्या प्राप्त सीख से उनके व्यवहार को बदलने में कोई मदद मिली? अगर हाँ तो किस प्रकार?

3. समूह द्वारा सभी गतिविधियों व पिछली सभी बैठकों के प्रभाव का मूल्यांकन

सहजकर्ता नीचे दिये गये प्रश्नों को पूछते हुए बैठक क्रमके प्रभाव का मूल्यांकन करेगी:

- ☐ क्या बैठकों में भाग लेने से VHSNC समिति के सदस्यों को कोई नई जानकारी प्राप्त हुई?
- ☐ क्या VHSNC समिति के सदस्यों को लगता है कि उसने समुदाय के अन्य लोगों को प्रभावित किया है? अगर हाँ तो कैसे? वे कौन सी चीजें थीं जिनसे मदद मिली और क्या क्या बाधायें थी?
- ☐ इस पिछली सभी बैठकों में समुदाय के लोगों का जुड़ाव कैसा था? क्या कुछ ऐसा है जो वे अलग तरीके से करना चाहते थे?

4. भविष्य की योजना :

- ☐ सहजकर्ता VHSNC समिति के सदस्यों द्वारा किये गए सभी अच्छे कार्यों का संक्षेपण करेगी और समूह को इस प्रकार के अच्छे कार्य करते रहने के लिये प्रेरित करेंगे, क्योंकि वह आगे की बैठकों में भाग नहीं ले पायेंगे।
- ☐ सहजकर्ता VHSNC समिति के सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे कि क्या वे ट्रैम्छ्ट के बैठकों को भविष्य में भी करना चाहेंगे।

मूल्यांकन

मूल्यांकन करने के लिए सहजकर्ता वी०एच०एस०एन०सी० के सदस्यों के साथ निम्न विषयों पर चर्चा करें, जैसे :–

- इन बैठकों की गतिविधि के दौरान कौन सी बैठक आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी और क्यों ?
- इन बैठकों को भविष्य में और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है ?
- भविष्य में इस तरह की बैठकों को कैसे जारी रखा जा सकता है ?
- भविष्य के लिए वी०एच०एस०एन०सी० के सदस्यों की क्या योजनाएं है ?

समूह को बैठकों में चुनी गयी रणनीतियों को लागू करते रहने के लिये प्रेरित करें ताकि उनके समुदाय में बच्चों और माताओं में कुपोषण को दूर किया जा सके। उन्हें याद दिलायें कि उन्होंने बैठकों में जो भी सीखा है उससे वे समुदाय में सकरात्मक बदलाव ला सकते हैं।

बैठक का सारांश तथा इस पूरे कार्यक्रम का समापन

- ☐ सहजकर्ता, वी०एच०एस०एन०सी० के सदस्यों की मदद से बैठक की सभी चर्चाओं का संक्षेपण करेंगे।
- ☐ अन्त में सभी सदस्यों को इस पूरे कार्यक्रम में सहभागिता के लिये धन्यवाद देंगे।

अनुलंग्नक '1'
ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति का गठन

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति का उद्देश्य

1. समुदाय को स्वास्थ्य कार्यक्रमों और सरकार की पहल के बारे में सुचित करने के लिए तथा बेहतर परिणामों के लिए इन कार्यक्रमों के योजना और क्रियान्वयन में भाग लेने हेतु एक संस्थागत तंत्र प्रदान करना।
2. सामाजिक निर्धारकों और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वास्थ्य से संबंधित सभी सार्वजनिक सेवाओं के लिए एक मंच प्रदान करना।
3. स्वास्थ्य जरूरतों को समझने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग से जुड़े अनुभवों और मुद्दों के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करना जिससे स्थानिय सरकारी तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रदाताओं की जानकारी मिल सके और संस्थानों का उचित प्रतिक्रिया मिल सके।
4. पंचायतों का स्वास्थ्य और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में पंचायत सदस्यों की भुमिका पर समझ विकसित कर उन्हें सश्क्त करना, ताकि उनके नेतृत्व के माध्यम से गाँव में बेहतर स्वास्थ्य कि स्थिति की प्राप्ति के लिए सामूहिक कार्य करने के लिए समुदाय सक्षम हो।
5. सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को समर्थन और सुविधा प्रदान करना –सहिया और अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जिन्हें समुदाय में सेवा प्रदान करना है।

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति का स्वरुप इस प्रकार होगा –

1	ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति द्वारा बहुमत से चयनित	: अध्यक्ष
2	सहिया	: सचिव
3	ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति द्वारा बहुमत से चयनित	: कोषाध्यक्ष
4	गाँव के सभी पंचायती राज प्रतिनिधि जन–प्रतिनिधि (जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड सदस्य यदि उस गाँव के निवासी हों)	: सदस्य
5	गाँव के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में गठित माता समिति के अध्यक्ष	: सदस्य
6	जल सहिया	: सदस्य
7	गाँव में गठित महिला बचत साख समूह प्रतिनिधि	: सदस्य
8	साक्षरताकर्मी	: सदस्य
9	अनुसूचित क्षेत्रों में परंपरागत ग्राम प्रधान	: सदस्य
10	शेष सदस्य ग्राम सभी के द्वारा चयनित किए जाएंगे।	
11	सभी आंगनवाड़ी सेविका	: आमंत्रित
12	संबंधित ANM	: सदस्य

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के गठन की प्रक्रिया :–

झारखण्ड राज्य में पंचायती राज्य संस्थाओं के गठन के पश्चात् झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम के तहत् ग्राम सभा का आयोजन प्रत्येक राजस्व गांव में किया जा सकता है।

1. ग्राम सभा का अर्थ उस ग्राम के 18 वर्श के या उससे अधिक के सभी व्यस्कों से है जिनका नाम मतदाता सूची में हों।
2. गैर अनुसूचित क्षेत्र से ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया करेंगे।
3. अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम के परम्परागत प्रधान, मुखिया महतो, मानकी अथवा पाहन करेंगे।
4. गैर अनुसूचित क्षेत्र में बैठक हेतु कोरम ग्राम सभा का 10 प्रतिशत है, जिसमें कम से कम 1/3 महिलाएं हो।

5. अनुसूचित क्षेत्रों का कोरम 1/3 होगा, जिसमें 1/3 महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

6. दोनों मामलों में VHSNC के लिए आयोजित की जाने वाली बैठक बुलाने की जिम्मेदारी, यथा नोटिस निर्गत करना, बैठक की कार्यवाही आदि सभी मुखिया की होगी।

7. बैठक की सूचना कम–से–कम एक सप्ताह पूर्व देनी होगी।

8. ग्राम सभा की बैठक में VHSNC के सदस्यों के चुनाव के लिए बैठक में ग्राम सभा सदस्यों से नाम मांगे जाएंगे। एक से ज्यादा प्रस्ताव आने की स्थिति में, हाथ उठाके वोटिंग की जाएगी एवं बहुमत के आधार पर चुनाव होगा।

9. कार्यवाही की प्रति प्रखण्ड चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दी जाएगी।

10. ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति ग्राम पंचायत की स्थायी समिति होगी एवं पंचायत तथा प्रखण्ड/जिला में गठित संबंधित विषयों की स्थायी समितियों के प्रति पूर्णतः जवाबदेह होगी एवं समय–समय पर इनके द्वारा बुलाए गये समन्वय बैठकों में उपस्थित होकर इनका मार्गदर्षन प्राप्त करेगी।

11. हर तीन में माह ग्राम सभी की बैठक में समिति अपने क्रियाकलाप एवं आय–व्यय का हिसाब अनिवार्यतः रखेगी एवं नीतिगत निर्णय हेतु स्वीकृति प्राप्त करेगी।

12. ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की गणपूर्ति कुल सदस्यों की आधी संख्या होगी। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोशण समिति की बैठकों में ग्राम सभा के किसी भी सदस्य के भाग लेने की स्वतंत्रता होगी पर किसी मुद्दे पर सहमति नहीं हो पाने पर वोटिंग की स्थिति में वह भाग नहीं ले सकेगा।

13. ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति का कार्यकाल पंचायती राज संस्थानों के कार्यकाल के समकक्ष होगा पर विशेष परिस्थिति में ग्राम सभा इसके कुछ सदस्यों को हटाने या उसमें शामिल करने में सक्षम होगा।

14. ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति का बैंक खाता पूर्व में संचालित ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति का बैंक खाता ही होगा। इसका संचालन ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण समिति के अध्यक्ष एवं सचिव (सहिया) के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति का कार्य :–

1. ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति समुदाय के समग्र स्वास्थ्य के लिए जिम्मेवार है।

2. ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति समुदाय की स्वास्थ्य आवश्यकताओं और स्थिति का आंकलन सहभागी होकर करेगी। समिति के सभी सदस्य, ए.एन.एम. और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ा, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं सर्वेक्षण आदि में सहयोग करेंगे।

3. उपरोक्त आंकलन के आधार पर ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति अपने–अपने गांव/टोले के लिए किस स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देना है एवं उसके संबंध में ए.एन.एम. और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता से बातचीत कर विस्तृत ग्राम स्वास्थ्य योजना बनायेगी।

4. ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति स्वास्थ्य जागरुकता को बढ़ाने, स्वास्थ्य संबंधी सूचना/जानकारी देने तथा स्वास्थ्य सेवाओं के मांग बढ़ाने की दिशा में कार्य करेगी। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने तथा प्रयोग करने के लिए समुदाय को प्रेरित करेगी तथा समुदाय स्वास्थ्य सेवाओं का ? लाभ उठाए यह सुनिश्चित करेगी।

5. ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे मलेरिया और पानी से उत्पन्न होने वाले रोगों को स्वयं जानेंगे एवं उससे बचाव के बारे में समुदाय के बीच इसका प्रचार–प्रसार भी करेंगे।

6. स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे सेवाओं की गुणवत्ता एवं समय अनुपालन संबंधी

7. पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन करेंगे।

8. स्वास्थ्य कोष तथा के लिए राशी जमा करने एवं उसके प्रबंधन की व्यवस्था।

9. राष्ट्रीय तथा राज्य कार्यक्रम–प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, क्षय रोग, अंधापन नियंत्रण, कुष्ठ, एड्स नियंत्रण, नियमित प्रतिरक्षण आदि की जानकारी समुदाय को उपलब्ध कराना तथा इन कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन के लिए समन्वयन स्थापित करना एवं निगरानी रखना।

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोशण समिति के गठन के संबंध में:

विशेष सचिव एवं अभियान निदेषक (एन.आर.एच.एम.), भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नई दिल्ली के पत्रांक –18015/8/2011-NRHM-II के आलोक में ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति का गठन किया गया है। अब ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के गठन की प्रक्रिया एवं स्वरुप निम्नवत होगा :–

(क) VHSNC की बैठक प्रत्येक महीने की जाएगी।

(ख) पूर्व में गठित ग्राम स्वास्थ्य समिति के बैंक खाते को ही संचालित किया जाएगा। समिति के नाम में परिवर्तन एवं बैंक खाता संचालकों से संबंधित प्रस्ताव संबंधित बैंक को दिया जाएगा।

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति का स्वरुप :

1. ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति में 11 से 21 सदस्य होंगे, जिसमें अनिवार्यतः आधे से अधिक संख्या महिलाओं की होगी।
2. संबंधित गाँव के सभी टोलों, जाति एवं सभी आयु वर्ग का यथा संभव प्रतिनिधित्व आवश्यक होगा।
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आदिम जनजाति (यदि उक्त जाति गाँव में निवास करती हो) का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा।
4. उस गाँव से संबंधित सभी पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधि इस समिति के पदेन सदस्य होंगे।
5. अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम प्रधान इस समिति के पदेन सदस्य होंगे।
6. संबंधित सभी राजस्व गाँव की सहिया समिति की सदस्य होंगी।
7. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार के कार्यकाल आदेश संख्या 185, दिनांक 24–08–11 के आलोक में गठित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की कार्यकारी सदस्य सह कोषाध्यक्ष (जल सहिया) इस समिति की पदेन सदस्य होगी। संबंधित राजस्व गाँव के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में गठित माता समिति की अध्यक्ष इस समिति की पदेन सदस्य होगी।
8. ग्राम सभा द्वारा समिति के गठन के उपरांत बैठक में पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। तीन पदाधिकारियों में से दो अनिवार्यतः महिला होगी। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की सचिव उस गाँव की सहिया होगी (एक से अधिक सहिया होने पर ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति सक्रियता, वरीयता एवं योग्यता के आधार पर निर्णय करेगी)
9. सार्वजनिक कुंओं, तालाबों, हैंडपम्प (चापाकलों) इत्यादि का निमार्ण, मरम्मत एवं रख–रखाव, घर का कूड़ा–कचड़ा इक्ट्ठा करने के लिए गांव के किनारे स्थान का चयन करना एवं लोगों को उसका उपयोग करने के लिए प्रेरित करना जरुरत पड़ने पर उदाहरण भी प्रस्तुत करना।
10. महिलाओं को सशक्तिकरण, लिंग भेद समाप्त करने एवं महिला उत्पीड़न, किशोरियों के मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता लाना एवं उन पर सकारात्मक रुप से भूमीका अदा करना।
11. सरकारी स्वास्थ्य उपकेन्द्रों / डिस्पेन्सरी की देखभाल कर ए.एन.एम. / डॉक्टरों से समन्वयन में अस्पताल प्रबंधन समिति को सहयोग देना।
12. आवश्यकता पड़ने पर जल्दी और गुणवत्तापूर्ण सेवा समुदाय को मिले इसके लिए ग्राम स्वास्थ्य समिति को सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, स्वयंसेवी संस्था / सामाजिक कार्यकर्त्ता और सहिया से सम्पर्क बनाए रखना।
13. नवीनतम तकनीक एवं विधि जो ग्रामीणों के व्यवहार एवं संस्कृति से मेल खाती हो उसको बढ़ावा देना।

14. सामाजिक कुरीतियों के विरोध में जनमत तैयार करना, जागृति लाना एवं इसके लिए लोक नाटक/नुक्कड़ नाटक और व्यक्तिगत संवाद करना। ग्रामीणों को स्वस्थ रहने के लिए पारिवरिक स्तर ही रोग निरोधी उपाय व्यवहार में लाने के लिए प्रेरित करना।

15. गाँवों, टोलों एवं प्रत्येक घर में पोषण वाटिका लगाना जिसमें ऐसे पौधों लगायें जिनसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ मिलते हैं उन्हे बढ़ावा देना।

16. पोशण संबंधी मुद्दों पर जागरुकता फैलाना एवं पोषण को स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रुप में स्थापित करने के रुप में सहयोग करना।

17. गाँवों में पोषण स्थिति एवं कुपोषण के संबंध में सर्वेक्षण संपादित करना (खास कर महिलाओं और बच्चों)।

18. स्थानीय उपलब्ध पोषक खाद्य पदार्थों की पहचान करना एवं इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करना।

19. स्थानीय लोक ज्ञान जो पोषण में सहायक हों की पहचान कर उसके प्रचार–प्रसार में सहयोग करना।

20. ग्राम स्वास्थ्य योजना निर्माण में पोषण की आवश्यकताओं को षामिल करना एवं कुपोषण के संभावित संबंधित कारणों की आंगनवाड़ी सेविका, सहिया एवं महिला बचत साख समूह के सहयोग से पहचान करना एवं उनके निदान के लिए प्रयास करना।

21. ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन करना एवं इसके आयोजन की पूर्ण जिम्मेवारी का वहन करना जिससे समुदाय के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी हो सके।

22. आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन का पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन करना एवं बच्चों तथा माताओं की पोषण स्तर में सुधार के कार्य में सहायता प्रदान करना।

23. कुपोषित बच्चों को चिकित्सिय सहायता एवं पोषाहार उपलब्ध कराने एवं उन्हें स–समय निकटतम कुपोषण उपचार केन्द्र/पोषण पुनर्वास केन्द्र में रेफर करने में सहयोग प्रदान करना।

24. स्वास्थ्य एवं पोषण के मुद्दों पर शिकायत निपटारा फोरम के रुप में कार्य संपादित करना।

25. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, समेकित बाल विकास विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा दिए गए दिषा–निर्देश के अनुपालन के लिए ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण समिति पूर्णतः जिम्मेवार होगी।

अनुलंग्नक '2'

VHND के सेवाओं को दर्शाता फलैक्स का प्रारूप

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस

सभी ग्रामीणों को स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएँ एक मंच पर

सीान : आँगनवाड़ी केन्द्र।

दिवस :

लाभार्थी एवं सेवाएँ				
0–06 वर्ष के बच्चे	गर्भवती एवं धात्री माताएं	किशोरी	योग्य दंपत्ती	समुदाय
पंजीकरण टीकाकरण वजन पोषाहार रेफर स्कूल पूर्व शिक्षा	पंजीकरण (शीघ्र), ANC जाँच–4 बार ;टीकाकरण, वजन, हिमोग्लो. बीन जाँच, पेशाब जाँच, रक्तचाप की माप, IFA गोली) PNC, पोषाहार, रेफर, सलाह/चर्चा, जननी सुरक्षा योजना (JSY)	IFA गोली, हिमोग्लोबीन जाँच, वजन, पोषाहार, परामर्श, समूह चर्चा	पंजीकरण (शीघ्र), सलाह (परिवार–नियोजन), IUD (कॉपर–टी) रेफर, गर्भ निरोधक साधन	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी चर्चा, सामान्य बीमारियों का उपचार, महामारियों के रोकथाम पर चर्चा, जननी सुरक्षा योजना (JSY) जननी शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम (JSSK)

VHSNC की भुमिका : VHND के नियत दिन एवं समय पर सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में सहयोग करना।

आवश्यक सामग्री : टीका, वजन मशीन, B.P मशीन हब कटर, स्लाईड, ग्रोथ चार्ट, टीकाकरण कार्ड, खाद्य सामग्री, पेय जल

महत्वपूर्ण नम्बर

ममता वाहन (कॉल सेन्टर) :......................................

ए0 एन0 एम0 :......................................

आंगनबाड़ी सेविका :......................................

सहिया :......................................

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :......................................

सदर अस्पताल :......................................

अनुलंग्नक ‘3‘
स्वास्थ्य उप केन्द्र से मिलने वाली सेवाएं

उप केन्द्र से मिलने वाली सेवा

(गरीबी रेखा से नीचे रह रहे सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य उप केन्द्र से मिलने वाली सभी सेवाएँ निःशुल्क होती हैं)

मातृ स्वास्थ्य :

प्रसव पूर्व देखभाल

- ☐ सभी गर्भवती महिलाओं का जल्द से जल्द पंजीकरण
- ☐ कम से कम चार बार प्रसव पूर्व जांच
- ☐ सामान्य जांच जैसे वजन, रक्त चाप, खून की कमी, पेट की जांच, ऊँचाई व स्तनों की जांच
- ☐ आयरन की गोलियां
- ☐ टी॰ टी॰ के इंजेक्शन
- ☐ खून की कमी का इलाज
- ☐ न्यूनतम प्रयोगशाला जांच जैसे रक्त, पेषाब व शुगर की जांच
- ☐ जिन महिलाओं को अधिक खतरा हो सकता है, उन्हें पहचान कर जल्द से जल्द सही जगह इलाज के लिए भेजने की सुविधा

प्रसव के दौरान देखभाल

- ☐ संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना
- ☐ बुलाये जाने पर, घर पर होने वाले प्रसवों के लिये कुशल दाई का इंतजाम
- ☐ सही व जल्द से जल्द रेफरल

प्रसव पश्चात देखभाल

- ☐ प्रसव पश्चात कम से कम दो बार निरीक्षण के लिए घर जाना। पहला निरीक्षण प्रसव के 24 घंटे के अंदर व दूसरा 7 से 10 दिनों के अंदर
- ☐ जन्म के आधे घन्टे के भीतर स्तन–पान की शुरूआत के लिए जच्चा को सलाह दें
- ☐ आराम, खान पान, स्वच्छता, गर्भ निरोधकों, नवजात शिशुओं की जरूरी देखभाल, नवजात शिशुओं व छोटे बच्चों के खान पान व एच.आई.वी/एड्स व प्रजनन अंगों के नवजात संक्रमण व यौन संक्रमण पर सलाह देना

शिशु स्वास्थ्य

- ☐ पहले 6 महीने तक ‘सिर्फ स्तन पान’ को बढ़ावा देना
- ☐ सभी नवाजात शिशु व बच्चों का पूर्ण टीकाकरण
- ☐ विटामिन ‘ए’ की सही खुराक
- ☐ बच्चों को होने वाली बीमारियों जैसे कुपोषण व संक्रमण से बचाव व नियंत्रण

परिवार नियोजन व गर्भ निरोघक

- ☐ गर्भ निरोधक के साधनों के इस्तेमाल के लिए शिक्षित व प्रेरित करना एवं सलाह देना
- ☐ गर्भ निरोधकों का इंतजाम व परिवार नियोजन के सही तरीके को अपनाने के लिये सलाह
- ☐ योग्य दंपतियों को स्थाई परिवार नियोजन के लिए फॉलो–अप करना
- ☐ जिन्हें जरूरत है उन्हें सुरक्षित गर्भपात सेवाओं पर सलाह देना व सेवा प्राप्त करने के लिये सही जगह पर भेजना

युवाओं की स्वास्थ्य देखभाल

- ☐ शिक्षा, सलाह व रेफरल सेवाएं देना
- ☐ स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं में मदद

स्थानीय महामारियों पर नियंत्रण व बिमारियों की निगरानी

- ☐ स्थानिय बीमारियों जैसे मलेरिया, कालाजार, इन्सेफलाइटिस, फाइलेरिया, डेंगू एवं अन्य संक्रामक बिमारियों की रोक–थाम के लिए उपाय करना
- ☐ पानी के स्रोतों को संक्रमणमुक्त करना
- ☐ पानी की गुणवत्ता की जांच करना
- ☐ शौचालयों के इस्तेमाल व कूड़े के सही निपटारे के साथ–साथ स्वच्छता को बढ़ावा देना

आरोग्यकारी सेवाएँ

- ☐ दुर्घटना व आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार के साथ–साथ स्वच्छता को बढ़ावा देना
- ☐ आरोग्यकारी सेवाएँ
- ☐ दुर्घटना व आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार के साथ–साथ आम बीमारियों के इलाज की सुविधा
- ☐ सही व जल्द से जल्द रेफरल
- ☐ चिकित्सा पदाधिकारी, सहिया, आंगनवाड़ी सेविका, पंचायती राज जनप्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह के साथ मिलकर आंगनवाड़ी केन्द्र में महीने में कम से कम एक दिन स्वास्थ्य, पोषण व स्वच्छता दिवस आयोजित करना
- ☐ क्षेत्र व घरों में दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित देखरेख
- ☐ समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का आकलन

प्रशिक्षण निगरानी व निरीक्षण

- ☐ पारम्परिक दाईयों व आशा का प्रशिक्षण
- ☐ आंगनवाड़ी सेविका, आशा, ग्राम स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति व पंचायती राज संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना

महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्ज करना

- ☐ जन्म व मृत्यु (खासकर माताओं व बच्चों की) की घटनाओं सहित सभी महत्वपूर्ण आंकड़ो का दर्ज करना व रिर्पोट करना
- ☐ इलाके में माताओं, बच्चों व योग्य जोड़ो से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों का रख रखाव करना

जवाबदेही :–

- ☐ स्वास्थ्य उपकेन्द्र ग्राम पंचायत के प्रति जवाबदेह होगा। इसके प्रबंधन के लिए एक स्थानिय समिति होगी, जिसमें ग्राम स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा।
- ☐ ए॰ एन॰ एम॰ व मल्टी परपस हैल्थ वर्कर (एम.पी.डबलू) उप केन्द्र के जरिए काम करते हैं व उपर लिखे गये सभी सेवाओं को आशा के सहयोग से प्रदान करते हैं।

उपलब्ध राशि:–

- ☐ ग्राम पंचायत उप केन्द्र समिति को उप केन्द्र निर्माण व मरम्मत के अधिदेष प्राप्त है। हर उपकेन्द्र को सलाना दस हजार रूपये की रखरखाव सहायता प्राप्त होती है।
- ☐ हर उपकेन्द्र को स्थानीय स्वास्थ्य कार्यवाही करने के लिए दस हजार रूपये की मुक्त निधि प्राप्त होती है। इन संसाधनोका इस्तेमाल किसी भी ऐसी स्थानिय स्वास्थ्य कार्यवाही के लिए किया जा सकता है, जिसकी मांग हो। यह निधि ए॰ एन॰ एम ॰ व मुखिया के संयुक्त खाते में जमा होती है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से मिलने वाली सेवा

- ☐ (गरीबी रेखा से नीचे रह रहे सभी नागरिकों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से मिलने वाली सभी सेवाएँ शुल्क मुक्त होती है)
- ☐ हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्थानिय बीमारियों के इलाज के साथ सभी मामले, जिनमें साधारण व आपातकालीन इलाज की जरूरत है के लिए बाह्य रोगी विभाग की सेवाएँ, भर्ती करने की सेवाएँ, इलाज के लिए बाहर रेफर करने की सेवाएँ व 24 घंटे आपातकालीन सेवाएँ प्रदान करनी होती है।
- ☐ उपकेन्द्रों द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाएँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भी प्रदान की जाती हैं।
- ☐ कुछ अन्य सेवाएँ जो इन केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाती हैं, इस प्रकार है।

मातृ स्वास्थ्य :—

- ☐ सामान्य व जटिल प्रसव के लिए 24 घंटे सुविधाएं
- ☐ जिन मामलों में विषेषज्ञ देखभाल की जरूरत है उन्हें सही जगह व तुरंत रेफर करना
- ☐ रेफर करने से पहले देखभाल (प्रसूति प्राथमिक उपचार)
- ☐ जननी एवं बाल सुरक्षा योजना के अंतर्गत सुविधाएं

परिवार नियोजन

- ☐ परिवार नियोजन के स्थायी तरीके
- ☐ सुरक्षित गर्भपात की सुविधा (जो भी प्रशिक्षित कर्मी व सुविधाएं मौजूद हों)
- ☐ प्रजनन अंगों के रोगों व यौन संक्रमण का इलाज प्रयोगशाला जांच की सेवाएं इलाज के लिए बार भेजने; रेफर करने) की सेवाएँ जिन मामलों में विषेशज्ञ देखभाल की जरूरत है उन्हें सही जगह पर तुरंत रेफर करना एवं
- ☐ मरीज की प्राथमिक चिकित्सा
- ☐ परिवहन की सुविधाएँ प्रदान करना व
- ☐ मरीज़ की परिवहन के दौरान सही देखभाल

सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों के बाहर नागरिकों के स्वास्थ्य अधिकारों के घोषणा पत्रों का प्रमुखता से प्रदर्शन किया जाना चाहिए।

- ☐ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (जो कि ब्लाक स्तर का नहीं है) उस ग्राम पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति जवा. बदेह होगा, जहाँ ये स्थित है।
- ☐ हालांकि अस्पताल के रोजमर्रा के प्रबंधन के लिए रोगी कल्याण समिति बनाई जाएगी लेकिन ब्लाक स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रबंधन में पंचायती राज के चुने हुए नेता भी शामिल होंगे।
- ☐ मिशन का लक्ष्य है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 24 घंटे सुविधाएँ दी जाऐं व इसके लिए हर केन्द्र में कम से कम 3 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति हो।

उपलब्ध राशि

- ☐ हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को भौतिक संरचना के निर्माण व रख रखाव के लिये सालाना पचास हजार रूपये की रख–रखाव सहायता प्राप्त होती है। पेय जल, शौचालय का इंतजाम व रख रखाव इत्यादि प्राथमिकताऐं होनी चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की पंचायत समिति/रोगी कल्याण समिति को भौतिक संरचना के सुधार व रख रखाव का काम करने व इस काम का निरीक्षण करने का अधिदेश प्राप्त होगा।
- ☐ हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सीानीय स्वास्थ्य कार्यवाही के लिये पच्चीस हजार रूपये की मुक्त निधि प्राप्त होती है। यह राशि किसी भी ऐसी स्थानिय स्वास्थ्य गतिविधि के लिये खर्च की जा सकती है जिसकी मांग हो।

अनुलंग्नक '4'
सहिया, ए०एन०एम० और आंगनवाड़ीका सेविका के कार्य व जिम्मेदारियां

स्वास्थ्य पर जागरूकता फैलाना सहिया का उत्तरदायित्व है। उसकी अन्य जिम्मेवारियाँ इस प्रकार हैं:–

सहिया के कार्य व जिम्मेदारियाँ :–

- ☐ पोषण, आरोग्य व स्वच्छता आदि विषयों पर समुदाय को जानकारी देना।
- ☐ समुदाय को उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी देना व स्वास्थ्य केन्द्रों में मिलने वाली सेवाओं को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना व मदद करना।
- ☐ गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करना व गरीब महिलाओं को गरीबी रेखा प्रमाण पत्र (बीपीएल कार्ड) प्राप्त करने में मदद करना।
- ☐ प्रसव के लिए तैयारी, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान, गर्भनिरोधकों, यौन संक्रमण, प्रजनन अंगों के संक्रमण व शिशुओं की देखभाल आदि विषयों पर सलाह देना।
- ☐ जिन गर्भवती औरतों या बच्चों को ईलाज या भर्ती किए जाने की जरूरत है, उन्हें निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र तक ले जाना या ले जाने की व्यवस्था करना।
- ☐ पूर्ण टीकाकरण को बढ़ावा देना।
- ☐ छोटी बीमारियों के लिए प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाना। सहिया को सरकार द्वारा दवाओं का किट दिया जाएगा जिसमें आम रोगों के लिए आयुष और अंग्रेजी दवाईयां भी शामिल होंगी।
- ☐ घरों में शौचालयों के निर्माण को बढ़ावा देना।
- ☐ आंगनवाड़ी सेविका, ए.एन.एम. तथा स्वयं सेवी समूह के सदस्यों के साथ वी०एच०एस०एन०सी० के नेतृत्व में ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार करना व उसको क्रियान्वित करने में सहायता करना।
- ☐ आंगनवाड़ी सेविका व ए.एन.एम. के साथ महीने में एक या दो बार आंगनवाड़ी केन्द्र में स्वास्थ्य दिवस आयोजित करना।
- ☐ सहिया, आंगनवाड़ी सेविका द्वारा दी जाने वाली आवश्यक सेवाओं जैसे गर्भ निरोधक गोलियां, कन्डोम, आयरन की गोलियां इत्यादि के लिए डिपो होल्डर का काम भी करेगी।

ए.एन.एम. के कार्य व जिम्मेदारियाँ

- ☐ सभी गर्भवती स्त्रियों का पंजीकरण (सहिया के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की सभी स्त्रियों को जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिले)।
- ☐ हर गर्भवती स्त्री के लिए कम से कम चार बार प्रसव पूर्व जांच, 100 आयरन की गोलियाँ व टी.टी. के 2 टीके सुनिश्चत करना।
- ☐ जिन गर्भवती स्त्रियों को अधिक खतरा हो सकता है उन्हें जल्द से जल्द सही जगह पर इलाज के लिए भेजना।
- ☐ घर में होने वाले प्रसवों के लिए कुशल दाई का इंतजाम, प्रसव पश्चात देखभाल व गर्भ.निरोधकों के लिए सलाह देना।
- ☐ नवजात शिशु की देखभाल, पूर्ण टीकाकरण, विटामिन ए की सही खुराक व बचपन में होने वाली बिमारियों बीमारियों जैसे कुपोषण व संक्रमण इत्यादि से बचाव व रोकथाम में लिए सेवाएँ देना।
- ☐ आरोग्यकारी सेवाएँ देना जैसे छोटी बीमारियों का इलाज।
- ☐ क्षेत्र में माताओं, गर्भवती महिलाओं व योग्य दंपतियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण रिकार्ड रखना।
- ☐ परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों व गर्भ निरोधकों के बारे में जानकारी देना व गर्भ निरोधकों का इंतजाम।
- ☐ सुरक्षित गर्भपात की सुविधाओं के बारे में सही जानकारी व सलाह।
- ☐ आंगनवाड़ी केन्द्र पर महीने में कम से कम एक बार स्वास्थ्य दिवस मनाने के लिए आंगनवाड़ी सेविका, सहिया, ग्राम स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति व पंचायत सदस्यों के साथ समन्वित सेवाएं।

- ☐ सहिया के साथ समन्वय व उसके काम की निगरानी।
- ☐ उपकेन्द्रों को मिलने वाली मुक्त राशि, ए.एन.एम. और स्थानीय/मुखिया के संयुक्त खाते में जमा की जाती है और यह खाता उन्हीं के द्वारा संचालित किया जाता है। ए.एन.एम., ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के प्रति जवाबदेही होती है जो उसके कार्य का निरीक्षण करती है।
- ☐ माताओं को स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित शिक्षा, स्तनपान एवं बच्चों को पोषण से संबंधित परामर्ष देना। आंगनबाड़ी सेविका स्थानिय समुदाय के करीब होने की वजह से नव विवाहित दंपतियों को परिवार नियोजन के तरीकों के लिए प्रोत्साहित करना।
- ☐ जन्म पंजीकरण के लिए नवजात शिशु के जन्म होने पर पंचायत सेवक या ए.एन.एम. को सूचित करना ताकि जन्म व मृत्यु प्रमाण–पत्र बनाया जा सके।
- ☐ घरों में जाकर अभिभावकों को यह जानकारी देना कि वे बच्चों व शिशु की वृद्धि एवं विकास के संबंध में अपनी भूमिका निभाएं।
- ☐ दिषा–निर्देश के अनुसार फाइल व रिकार्ड का रख–रखाव करना, प्रथामिक स्वास्थ्य जाँच, प्रसव पूर्व व प्रसव पश्चात जाँच के लिए मदद करना।
- ☐ ए.एन.एम. द्वारा आयरन की गोली व विटामिन ए की खुराक वितरण हेतु केन्द्र पर इसका स्टॉक रखना परंतु इसके लिए उसे रजिस्टर का रख–रखाव की कोई आवश्यकता नहीं है अन्यथा ये उनके प्रशासनिक कार्य में जुड़ जायेगा।
- ☐ आई.सी.डी.एस. के संबंध में ए.एन.एम. से जानकारी लेकर लोगों के साथ जानकारियों का आदान–प्रदान करना। यद्यपि ए.एन.एम., आंगनबाड़ी सेविका के रिकॉर्ड पर पूरी तरह निर्भर नहीं है।
- ☐ सी.डी.पी.ओ. को गाँव के विकास के संबंध में अवगत कराकर उन्हें हस्तक्षेप के लिए ध्यान आकर्षित करना, खासकर जहाँ विभिन्न विभागों के साथ समन्वय की बात हो।
- ☐ अन्य समूह/संगठन जैसे महिला मंडल के समन्वय स्थापित करना तथा विद्यालय की शिक्षिकाओं को भी शामिल करना।
- ☐ एन.आर.एच.एम. के तहत सहिया को स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को देने के लिए दिशा–निर्देश का कार्य करना।
- ☐ किशोरी शक्ति योजना के क्रियान्वयन में सहयोग देना व किशोरियों, अभिभावकों व समुदाय को शिक्षित व प्रोत्साहित करना ताकि सामाजिक जागरूकता व अभियान चलाया जा सके।
- ☐ किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम (एन.डी.ए.जी.) के क्रियान्वय में मदद करना एवं संबंधित रिकॉर्ड रखना।
- ☐ आर.सी.एच. किट/गर्भ निरोधक साधन/डिस्पोजल प्रसव किट के लिए डिपो होल्डर का कार्य करेगी।
- ☐ दिव्यांग बच्चों की पहचान करना एवं नजदीकी पी.एच.सी. या जिला स्तरीय दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में रेफर करना।
- ☐ पल्स पोलियो अभियान में सहयोग देना।
- ☐ डायरिया, फाइलेरिया जैसे आपात स्थिति होने पर ए.एन.एम. को सूचित करना।

आंगनबाड़ी सेविका के कार्य व जिम्मेदारियाँ

- ☐ कार्यक्रम को चलाने में समुदाय का समर्थन और भागीदारी पर ध्यान देना।
- ☐ हर महीने प्रत्येक बच्चे (6 साल से कम) का वजन करना,।
- ☐ वृद्धि निगरानी चार्ट पर रेखांकन करना एवं माताओं, अभिभावकों से बच्चे की वृद्धि के बारे में चर्चा करना ।
- ☐ वर्श में एक बार अपने–अपने क्षेत्र में सभी सुविधाओं पर विषेश रूप से माताओं और बच्चों को मिलनेवाली सेवाओं पर त्वरित सर्वेक्षण करना।
- ☐ 3–6 वर्ष के बच्चों की आंगनवाड़ी में अनौपचारिक स्कूल पूर्व गतिविधियों को व्यवस्थित करना।
- ☐ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध भोजन और स्थानीय व्यंजनों का मेन्यु बनाकर बच्चों (0–6 वर्श) को पूरक पोषण खिलाना और गर्भवती और धात्री माताओं के लिए परामर्श करना।
- ☐ शिशुओं को स्तनपान एवं उपरी आहार पर पोषण शिक्षा और परामर्श प्रदान करना।

- विवाहित महिलाओं को परिवार नियोजन एवं जन्म नियंत्रण के उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित करना ।
- जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना।
- टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच (प्रसव पूर्व एवं प्रसव पष्चात) जाँच में ए.एन.एम. की सहायता करना
- अन्य संगठनों जैसे– महिला मंडल, ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के साथ संपर्क बनाए रखना
- सहिया के द्वारा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और अभिलेखों के रखरखाव व क्रियान्वयनन में मार्गदर्षन करना
- किशोरी शक्ति योजना (केएसवाई) और सबला के क्रियान्वयनन के लिए प्रेरित करना और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों/अभियानों आदि के आयोजन में किशोरियों और उनके माता–पिता और समुदाय को जागरूक करना
- घर के दौरे के दौरान बच्चों के बीच विकलांगता की पहचान करने और निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र को रेफर करना
- पल्स पोलियो प्रतिरक्षण (पीपीआई) का आयोजन करना
- आपातकालीन स्थिति जैसे–डायरिया, हैजा आदि के समय एएनएम को सूचित करना
- समय–समय पर राज्य सरकार या पंचायत द्वारा सौंपे गये अन्य कर्तव्यों को सम्पादित करना

अनुलंग्नक '5'
जल उपयोग संबंधी लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हेतु बातें

जल स्रोत

- ☐ समुदाय के समस्त बच्चों, महिलाओं और पुरूषों द्वारा पीने एवं भोजन तैयार करने हेतु स्वच्छ एवं सुरक्षित जल का उपयोग करना चाहिए।
- ☐ व्यक्तिगत स्वच्छता के कार्यों जैसे नहाने, घर की स्वच्छता एवं कपड़े धोने हेतु पर्याप्त जल का उपयोग करना चाहिए।
- ☐ जल का सदुपयोग किया जाना चाहिए एवं उसे गैर–जरुरी कार्यों में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था होना चाहिए।
- ☐ जल स्त्रोतों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए एवं उनका संरक्षण करना चाहिए।
- ☐ जल स्त्रोतों को निकट स्थित शौचालयों, गंदे पानी की नालियों, मवेशियों या कृषि रसायनों जैसे खाद/उर्वरकों द्वारा प्रदूषण से बचाना चाहिए।

जल उपचार

- ☐ यदि आवश्यक हो तो जल स्रोतों पर सामान्य शुद्धिकरण जैसे क्लोरीकरण की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।
- ☐ यदि आवश्यक हो तो ठोस अवशिष्ट पदार्थों या कीड़ो आदि को हटाने के लिए पानी को छानना चाहिए।

जल संग्रहण

- ☐ जल को सदैव स्वच्छ बर्तनों में रखना चाहिए।
- ☐ जल को हाथ या अन्य गंदे सामग्री के सम्पर्क में आने से रोकना चाहिए।
- ☐ पीने एवं अन्य कार्यों हेतु जरुरी जल को अलग–अलग बर्तनों में रखना चाहिए।

पेयजल

- ☐ पीने हेतु बर्तन जैसे मटका/बाल्टी आदि से जल इस प्रकार निकालना चाहिए कि उसके प्रदूषित होने की संभावना कम से कम हो।

जल उपयोग

- ☐ व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वच्छता हेतु पर्याप्त जल (न्यूनतम 40/55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन) उपलब्ध होना चाहिए।

खाद्य पदार्थ

- ☐ खाना पकाने और ग्रहण करने से पहले हाथों को धोना चाहिए।
- ☐ सब्जियों एवं फलों को स्वच्छ जल से धोना चाहिए और खाद्य सामग्री को ढककर रखना चाहिए।
- ☐ खाना पकाने एवं रखने के बर्तनों को स्वच्छ जल से धोकर स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए।

सुरक्षित व स्वच्छ शौचालय वह है –

- ☐ जिसके निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन किया गया हो।
- ☐ जल स्रोत से शौचालय के गढ्ढे की दूरी कम से कम 10 मीटर हो जिससे जल स्रोत गंदे ना हो।
- ☐ शौचालय के आस पास मक्खी आदि न पनपे व गंदी बदबू न हो।

- ☐ जिसके निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन किया गया हो।
- ☐ जल स्रोत से शौचालय के गढ्ढे की दूरी कम से कम 10 मीटर हो जिससे जल स्रोत गंदे ना हो।
- ☐ शौचालय के आस पास मक्खी आदि न पनपे व गंदी बदबू न हो।

व्यक्तिगत शौचालय क्यों?

स्वच्छ पर्यावरण के लिए मानव मल का उचित निपटान अत्यावश्यक है। मल के उचित निपटान नही होने से या खुले में मल त्याग करने से मल के द्वारा पेयजल के स्रोत गंदे होते और इससे कई तरह की बीमारियां जैसे उल्टी, दस्त आदि फैलती है। खुले में त्याग किया हुआ मल विभिन्न माध्यमों जैसे पानी, मक्खी, हाथों, जानवरों के पैरों आदि से हमारे भोजन में मिलता है और दूषित करता है। खुले में मल त्याग करने से महिलाओं के मान सम्मान को भी ठेस पंहुचती है साथ ही बरसात आदि में खुले में शौच जाने जैसी परेशानी होती है। इन सब को देखते हुऐ यह जरूरी है कि हर घर में एक स्वच्छ शौचालय का निर्माण हो। शौचालय निर्माण में कार्य कर रहे कारीगरों, मेट एवं स्वच्छता दूत को ध्यान रखना चाहिये की हितग्राही के घर में मानक अनुसार गुणवत्ता वाले शौचालय का निर्माण हो जिसे पूरा परिवार बिना किसी समस्या के उपयोग कर सके।

सुरक्षित एवं स्वच्छ शौचालय के मुख्य घटक–

- ☐ शौचालय का गढ्ढा–लीच पिट (सोख्ते गढ्ढे)
- ☐ शौचालय का चबूतरा–शौचालय का पेन, मुर्गा/जलबंध एवं पैरदान
- ☐ शौचालय का कमरा–ऊपरी भाग (सुपर स्ट्रक्चर)

अनुलंग्नक ‘6‘
स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ भारत अभियान की षुरूआत 2 अक्तूबर 2014 से की हुई है। इसके तहत भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2019, महात्मा गांधी के जन्म की 150 वीं वर्शगांठ तक देष को खुले में षौच मुक्त (ओपेन डेफिकेषन फ्री–ओडीएफ) बनाने का लक्ष्य रखा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने 2014 के स्वतंत्रता दिवस के भाशण में शौचालयों की जरूरत के बारे में बताया था– क्या हमें कभी दर्द हुआ है कि हमारी मां और बहनों को खुले में षौच करना पड़ता है? गांव की गरीब महिलाएं रात की प्रतीक्षा करती हैं। जब तक नहीं अंधेरा उतरता है, तब तक वे षौच को बाहर नहीं जा सकतीं। उन्हें किस प्रकार की शारीरिक यातना होती होंगी, क्या हम अपनी मां और बहनों की गरिमा के लिए शौचालयों की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं?

स्वच्छ भारत अभियान के उद्देष्य

- ☐ भारत में खुले में षौच का जड़ से उन्मूलन।
- ☐ अस्वास्थ्यकर शौचालयों को बहाने वाले शौचालयों में बदलना।
- ☐ हाथों से मल की सफाई करने की व्यवस्था को हटाना।
- ☐ लोगों के व्यवहार में बदलाव कर अच्छे स्वास्थ्य के विशय में जागरूक करना।
- ☐ जन–जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और साफ–सफाई के कार्यक्रम से लोगों को जोड़ना।
- ☐ साफ–सफाई से संबंधित सभी व्यवस्था को नियंत्रित, डिजाइन और संचालित करने के लिए षहरी स्थानीय निकाय को मजबूत बनाना।
- ☐ पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से निपटानों का दुबारा प्रयोग और शहर के ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण।
- ☐ सभी संचालनों के लिए पूंजीगत व्यय में निजी क्षेत्रकों को भाग लेने के लिए जरूरी वातावरण और स्वच्छता अभियान से संबंधित खर्च उपलब्ध कराना।

अभियान का उद्देष्य पांच वर्षों में भारत को खुले में षौच से मुक्त देष बनाना है। अभियान के तहत देश में लगभग 11 करोड़ 11 लाख षौचालयों के निर्माण के लिए एक लाख चौंतीस हजार करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे। बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीण भारत में कचरे का इस्तेमाल उसे पूंजी का रूप देते हुए जैव उर्वरक और ऊर्जा के विभिन्न रूपों में परिवर्तित करने के लिए किया जाएगा। अभियान को युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर ग्रामीण आबादी और स्कूल षिक्षकों और छात्रों के बड़े वर्गों के अलावा प्रत्येक स्तर पर इस प्रयास में देष भर की ग्रामीण पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिशद को भी इससे जोड़ना है।

प्रोत्साहन राशि

अभियान के एक भाग के रूप में प्रत्येक पारिवारिक इकाई के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू षौचालय की इकाई लागत को 10,000 रुपये से बढ़ा कर 12,000 रुपये कर दिया गया है। इसमें हाथ धोने, षौचालय की सफाई एवं भंडारण को भी षामिल किया गया है। इस तरह के षौचालय के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता 9,000 रुपये और इसमें राज्य सरकार का योगदान 3,000 रुपये होगा। अन्य स्रोतों से अतिरिक्त योगदान करने की स्वीकार्यता होगी।

लाभुक कौन होगा

यह प्रोत्साहन राशि बीपीएल परिवार के लिए होगी, लेकिन वृद्धावस्था पेंशनधारी, विधवा पेंषनधारी, दिव्यांग पेंषनधारी, गर्भवती व धात्री महिला, बालिका आदि परिवार को षौचालय निर्माण के लिए प्राथमिकता दी जायेगी।

संदर्भ (References)

1. RSBY Guideline : http://www.rsby.gov.in/Documents.aspx?id=2
2. JSSK : http://www.nrhm.gov.in/images/pdf/programmes/jssk/guidelines/guidelines_for_jssk.pdf
3. JSY : http://www.nrhm.gov.in/images/pdf/programmes/jsy/guidelines/jsy_guidelines_2006.pdf
4. VHND Guideline: http://www.nhsrcindia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=110
5. Community process guidelines 2013: http://nrhm.gov.in/images/pdf/communitisation/vhsnc/order-guidelines/Guidelines_for_Community_Processes_2014%20English.pdf http://nrhm.gov.in/images/pdf/communitisation/vhsnc/state_wise_notifications/jharkhand.pdf
6. Gram Swasthya Karya Yojna:
7. VHSNC Untied fund : http://nrhm.gov.in/images/pdf/communitisation/vhsnc/order-guidelines/vhsnc_guidelines.pdf
8. Janm aur mrityu panjikaran: http://www.ranchimunicipal.com/docs/BDrulesH.pdf
9. Gram Swasthya Swachata evam poshan samity ka uddeshya: http://nrhm.gov.in/images/pdf/communitisation/vhsnc/Resources/Handbook_for_Members_of_VHSNC-Hindi.pdf
10. Roles and Responsibilities of Anganwadi Workers http://swd.kerala.gov.in/index.php/juvenile-justice/410-roles-and-responsibilities-of-anganwadi-workers

सहजकर्ताओं की बैठक मार्गदर्षिका

Design by abhishek_sr117@yahoo.co.in